# 27 याद करेगी धरती

**निर्मला गर्ग**
(जन्म : सन् 1955 ई.)

प्रगतिशील विचारधारा की इस कवयित्री का जन्म दरभंगा (बिहार) में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा दरभंगा में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने रूसी भाषा में डिप्लोमा भी किया। पहले आप प्रगतिशील लेखक संघ और फिर जनवादी लेखक संघ से लम्बे समय तक जुड़ी रहीं। इनकी कुछ कविताओं का बंगला, मराठी, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है।

'यह हरा गलीचा', 'कबाड़ी का तराजू' और 'सफर के लिए रसद' इनके काव्य संग्रह हैं। 'कबाड़ी का तराजू' पर इन्हें हिन्दी अकादमी, दिल्ली के कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने अतीत को याद करते हुए यह बताने की सफल चेष्टा की है कि मानवता और प्रेम की हत्या बार-बार होती है। लेकिन कवयित्री आशावान है कि ये वो अमर भावनाएँ हैं जिनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता है। कवयित्री ने यह दिखाया है कि कभी-कभी ऐसा भी मौसम आ जाता है, जब लगता है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में भी भीतर-ही-भीतर हलचलें सक्रिय रहती हैं। धरती आँसुओं, खून के धब्बों, अनेक वारदातों, धूल और बवंडर से भरे मुसीबत के दिनों को याद रखती है। कवयित्री दुनिया को लेकर निराश नहीं, बल्कि आशावान है।

---

जब कहीं कुछ नहीं होता,
एक शान्त नीली झील में
सुस्ताती हैं सारी हलचलें
वक्त बस झिरता है
धीमे झरने-सा

धरती खोलती है
पुराना अल्बम

जगह जगह आँसुओं
और खून के धब्बे हैं उस पर
अनगिनत वारदातें घोड़ों की टापें
धूल और बवंडर के बीच
याद करती है धरती
वे तारीखें साफ किया है जिन्होंने
उसकी देह पर का कीचड़
धोया है मुँह बहते पसीने से

याद करेगी धरती कई चीजें अभी और
और कई चेहरे।

## शब्दार्थ-टिप्पण

**सुस्ताना** थकावट दूर करना, आराम करना **वारदात** बुरी घटना, आपराधिक घटना **बवंडर** चक्रवात **खून के धब्बे** बुरी घटनाओं का संकेत।

## स्वाध्याय

**1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए :**

(1) वक्त कैसे बीतता है ?

(2) हलचलें कहाँ सुस्ताती हैं ?

(3) हमारे अतीत पर किन चीजों पर धब्बे हैं ?

(4) अनगिनत वारदातों से कवि का क्या तात्पर्य है ?

(5) अपनी मेहनत से पृथ्वी की कालिमा को किसने दूर किया है ?

**2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए :**

(1) पृथ्वी के अलबम में कौन-कौन-सी घटनाएँ छिपी हुई हैं ?

(2) धरतीरूपी अल्बम पर किस-किस के धब्बे हैं और वे क्या दर्शाते हैं ?

(3) धरती के पुराने अल्बम को खोलने से कवि का क्या तात्पर्य है ? समझाइए।

**3. प्रत्येक प्रश्न का पाँच-छः वाक्यों में उत्तर लिखिए :**

(1) 'याद करेगी धरती' काव्य का केन्द्रीय भाव दर्शाइए।

(2) पृथ्वी किन-किन बातों को याद रखेगी ? और क्यों ?

**4. आशय स्पष्ट कीजिए :**

याद करेगी धरती कई चीजें अभी और
और कई चेहरे।

**5. सही विकल्प चुनकर काव्यपंक्ति पूर्ण कीजिए :**

(1) वक्त बस झिरता है, धीमे ........................ सा।

(A) तूफान (B) झरने (C) भूकंप (D) चक्रवात

(2) धरती खोलती है पुराना ........................।

(A) इतिहास (B) राग (C) अल्बम (D) रहस्य

(3) जगह-जगह आँसुओं और खून के ....................... हैं।

(A) निशान (B) चित्र (C) धब्बे (D) स्मारक

(4) उसकी देह पर का ........................ धोया है मुँह बहते पसीने से।

(A) मैल (B) पसीना (C) कीचड़ (D) रक्त

**6. पर्यायवाची शब्द लिखिए :**

घोड़ा, धूल, देह, समय, मुँह।

**7. विलोम शब्द लिखिए :**

शांत, धीमे, नया, अनगिनत।

**विद्यार्थी-प्रवृत्ति**

- 'युद्ध की विभीषिका' विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए।

**शिक्षक-प्रवृत्ति**

- शिक्षक देशप्रेमी महापुरुषों के चित्रों का अल्बम तैयार कराएँ।

●

| 28 | दान की बात |
|---|---|

# 28 दान की बात

**रघुवीर चौधरी**

(जन्म : सन् 1938 ई.)

सर्जक, चिंतक, कर्मशील रघुवीर चौधरी का जन्म बापूपुरा (जिला गांधीनगर) उत्तर गुजरात में हुआ। स्कूली शिक्षा माणसा तथा उच्च शिक्षा अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से। हिन्दी का अध्यापन भाषा-साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी के हिन्दी विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर पद से निवृत्त। नई तालीम की संस्थाओं के सूत्रधार।

रघुवीरभाई ने गुजराती भाषा में लगभग सभी विधाओं पर साधिकार लेखन किया है। कथा साहित्य, नाटक, कविता, रेखाचित्र आदि में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अमृता, उपरवास, कथात्रयी, वेणु-वत्सला, सोमतीर्थ, रुद्रमहालय आदि उपन्यास उनकी कीर्ति के स्तंभ हैं। गोकुल-मथुरा-द्वारका, अमृता तथा उपरवास कथात्रयी के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं । ग्रामीण जीवन के निकट संपर्क, शहरी अनुभवों की अभिव्यक्ति के साथ ही ऐतिहासिकता उनकी रचनाओं के प्रमुख आयाम है। मूल्यनिष्ठा, मूल्यप्रतिष्ठा उनकी रचनाओं के प्रमुख स्वर हैं। उनकी लम्बी कविता 'बचावनामु' इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। रघुवीरभाई को ऊपरवास कथात्रयी के लिए साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला है। वे गुजराती के सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, इनमें रणजितराम सुवर्ण चंद्रक, क. मा. मुनशी स्वर्ण चंद्रक, गोवर्धनराम त्रिपाठी पुरस्कार आदि मुख्य हैं। इन्हें साहित्य अकादेमी की मानद् फेलोशिप प्राप्त है। भारत का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान (2015) ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है।

यहाँ संकलित 'दान की बात' गुजराती तथा हिन्दी दो भाषाओं में लिखे गए उनके जीवनीपरक उपन्यास का अंश है, कथानायक बालक गिरधारी के जीवन में संस्कारों का सिंचन किस तरह से हुआ, यह उसका एक उत्तम उदाहरण है।

---

गुरुपूर्णिमा का दिन था। गंगास्नान करके गिरधारी घर वापस आया। पिताजी की सलाह याद रखकर वह ज़रूरत से ज्यादा नियमित हो गया था। इस तरह नियमित हो बुजुर्गों द्वारा बखान सुनने में भी मजा आता था।

'बहुत जल्दी आ गया रे ! नहाने में जल्दबाजी तो नहीं की न !'

'गंगा में सात डुबकी लगाई थीं' — कहते हुए गिरधारी ने बुआ की चरणरज ली। सोकर उठने के साथ वंदन करना बाकी रह गया हो तो गिरधारी रामघाट से लौटकर इस प्रकार विशेष आशिष प्राप्त करता है।

प्रात:काल की पूजा पूरी करके गणेशीकौर ने प्रभु को प्रसाद चढ़ाया था। वह देते हुए बोली : 'बेटा नास्ता कर ले । तेरे फूफा प्रयागराज गए हैं। तुझे मुनीमजी को लेकर गुरुजी के यहाँ जाना है, दक्षिणा पहुँचाने। पता है न आज कौन-सी तिथि है ? गुरुपूर्णिमा !'

गिरधारी ने आचार्य विभूति मिश्र का घर देखा है। जब देखा हर बार पहले की अपेक्षा ज्यादा अच्छा लगा है। सीधे सादे तीन कमरे। स्वच्छ अहाता। एक झूला, एक तुलसीचौरा। गिनेचुने छात्र ही आचार्य के यहाँ आते हैं। इन दिनों एक गौरवर्ण युवक प्रात:काल पीताम्बर पहनकर आता है। कहते हैं कि वह अपने बंगले से तांगे में बैठकर निकलता है। गली के मोड़ के पास तांगा खड़ा करता है। उतरकर वहाँ से पैदल चलकर गुरुदेव के यहाँ आता है। यह रास्ता दूसरी अंधेरी गलियों जितना सँकरा नहीं है। तांगा यहाँ तक आ सकता है। किन्तु इसमें अशिष्टता दिखाई देगी। चलते समय भी उसके मुख पर नम्रता होती है। कहते हैं बहुत बड़ा अफसर है। आचार्य को साष्टांग प्रणाम करता है। फिर सादे आसन पर बैठता है। आचार्य विभूति मिश्र मौखिक परंपरा से शिक्षा देते हैं। पढ़ाते समय

हाथ में पुस्तक नहीं रखते। दर्शन, व्याकरण और ज्योषिशास्त्र उन्हें कंठस्थ हैं। मामा श्री वल्लभराम की सलाह से किशोरीलाल और 'शिवालय' में रहते परिवार ने समादर के साथ दान देना शुरू किया है। यह शुभ अवसर वर्ष में एक ही बार आता है; गुरुपूर्णिमा के दिन। इसके सिवा किसी भी अन्य दिन आचार्य दक्षिणा नहीं स्वीकार करते।

गिरधारी नास्ता करके गुरुजी के यहाँ जाने के लिए तैयार हुआ तब तक मुनीमजी आए न थे। उन्होंने गिरधारी के नदी से लौटने का समय उसकी पुरानी आदत के मुताबिक अनुमान कर रखा था। वे जल्दी पहुँचेंगे तो गिरधारी को बुलाने बुआजी उन्हें रामघाट भेजेंगी। वे स्वयं रामघाट पहुँचेंगे तब तक गिरधारी का नहाना पूरा नहीं हुआ होगा और वह दूर से ही चिल्लाएगा, आप भी नहाने आइए।

गिरधारी मुनीमजी की बाट जोहकर ऊब गया। झूले पर बैठकर श्लोक गाने लगा। तभी कृष्णाराम का आगमन हुआ । बुआजी ने भइये को नास्ते के लिए पूछा। कृष्णाराम को उससे कुछ एतराज न था पर गृहकार्य से फुरसत पाकर नास्ता करें तो उसके स्वाद का बराबर लुत्फ उठा सकते हैं ऐसी उसकी मान्यता थी। गिरधारी को बाहर जाने के लिए उस तरह तैयार बैठा देखकर उसने गणित और संस्कृत के दाँवपेंच पहले जानकर बाद में पूछा : आचार्य के यहाँ क्यों जाना है। मेरी ज़रूरत साथ में रहने की है ? गिरधारी ने सहज रूप से आचार्य के यहाँ दान देने जाने का उल्लेख किया । बुआजी ने टोकते हुए कहा : 'बेटा दान की बात किसी से नहीं कही जाती। यह कहना चाहिए कि गुरुपूर्णिमा का प्रणाम करने जाना है।'

भइया सोच में पड़ गया। काशी में भिखमंगों की कमी नहीं है। खुले आम दान दिया जाता है, मुँह खोलकर माँगकर लिया जाता है। इसलिए बुआजी की बात पर उसे अचरज हुआ। उसने गिरधारी की ओर देखा। उसके पास भी इसका उत्तर न था। आचार्य विभूति मिश्र अयाचक व्रत का पालन करते हैं, यह सच है। हम अपनी मर्जी से दान देने के लिए जाते हैं। उन्होंने बुलाया नहीं है कि आना। हम सत्कार्य कर रहे हैं फिर छुपाने की क्या ज़रूरत ? पूछा । गणेशी बुआ बोलीं : 'दान तीन प्रकार का होता है : सात्त्विक, राजसिक और तामसिक। यह भेद भावना की दृष्टि से किया गया है। वस्तु की दृष्टि से भी दान के तीन प्रकार हैं — अभयदान, विद्यादान और अर्थदान। तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगा कि हमसे बड़े दाता तो हैं गुरुजी। क्योंकि उनसे हमें अभयदान मिलता है। संसार के महाभय से मुक्त होने का उपदेश ही अभयदान है। विद्यादान तो आप अनेक गुरुओं के पास से प्राप्त कर रहे हैं । ईश्वर की कृपा से हम थोड़ा अर्थदान करने की शक्ति रखते हैं। परन्तु यह दान सात्त्विक कैसे रहे ? हम अपना कर्तव्य समझकर योग्य व्यक्ति को गुप्तदान करें तभी वह सात्त्विक होगा। देश, काल और सुपात्र का विचार करके, बदले में कुछ पाने की आशा रखे बिना किया गया दान ही सात्त्विक है। भगवद्गीता में कहा गया है :

दातव्यम् इति यद् दानं दीयते अनुपकारिणे।
देशे काले च पात्रे च तद् दानं सात्त्विकं स्मृतम्।'

दोनों किशोर विस्मयविमूढ़ होकर ताकते रह गए। बुआ से पूछें कि आप कितनी पढ़ी हैं तो कहेंगी : मैं तो कुछ भी पढ़ीलिखी नहीं हूँ। फिर भी उन्हें कितने सुभाषित याद हैं ! वे समझाती हैं तो लगता है कि भोजन का कोई व्यंजन परोस रही हैं !

मुनीमजी आ पहुँचे। देरी के लिए माफी माँगने लगे। पाँच मिनट देर से आयें तो भी इसे लेट माननेवाले मुनीमजी बनारस में पहले व्यक्ति होंगे ऐसा कहकर भइया ने उनकी कद्र की। बुआजी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया। गुरुजी के पास पहुँचाने के लिए सामग्री तैयार रखी थी। द्रव्य, वस्त्र आदि मुनीमजी ने संभालकर रखे। बुआजी ने गिरधारी से कहा :

'पहले आचार्यदेव को साष्टांग प्रणाम करना, फिर प्रार्थना करना ''—कृपया ये वस्तुएँ ग्रहण कीजिए और हमें आभारी कीजिए ।'' फिर उनके चरणों में सब धर देना।'

मुनीमजी भी ध्यान से सुन रहे थे। गणेशीबुआ ने कहा : गिरधारी के फूफा का प्रणाम कहना भूलियेगा नहीं। इलाहाबाद से लौटते ही वे आचार्य देव से मिलेंगे। भाई साहब तो कुछ दिन पहले ही मिल चुके हैं।

'साथ जाने की इच्छा पर काबू रखकर भइया पान लगाने का डिब्बा लेकर झूले पर बैठा। देर मत करना। गुरुजी से कुछ पूछना मत। उनका उत्तर लम्बा होता है।' बुआजी ने भइये का कान पकड़कर प्रेमपूर्वक मौन रहना सिखाया । गिरधारी के कदम बढ़े। आचार्यदेव इस बालक के हाथ से दान स्वीकार करेंगे !

आचार्य विभूति मिश्र एक अतिथि को विदा करने अहाते के फाटक तक आए हुए थे। जाते-जाते अतिथि कहते गए : सुबंधु आये तब मुझे बतलाइएगा। मुझे उसे उलाहना देना है। देशसेवा के लिए घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी भई ! — उत्तर में आचार्यश्री केवल मुस्कुराए। नए अतिथियों का स्वागत कर रहे थे कि तभी गिरधारी ने साष्टांग दंडवत् प्रणाम किया। उसकी हथेलियों पर धूल लग गई थी।

'धूल ने तुझे शुभाशिष दे दिया वत्स !' आचार्य ने सस्नेह कहा। स्वागत किया। दोनों भीतर गए। सामान उतार कर मुनीमजी ने अपने गमछे से गिरधारी की हथेलियाँ साफ कीं। सामग्री हाथ में लेने को कहा। बुआ का कहा हुआ सब याद था। प्रार्थना की। आचार्यदेव प्रसन्न हुए। इसका अर्थ है — यह लड़का बड़ों जैसा व्यवहार कर रहा है ! दान स्वीकार किया। गिरधारी के माथे पर हाथ रखा। आशीर्वाद दिया : 'स्वकर्म से यशस्वी बनो। राष्ट्र और संस्कृति की सेवा के एक से बढ़कर एक अवसर प्राप्त करते रहो।'

गिरधारी और मुनीमजी निकलने के लिए तैयार ही थे कि तभी एक अंग्रेज अधिकारी आया। कभी वह भी भारतीय दर्शन समझने के लिए यहाँ आता था। आजकल वह दिल्ली में था। सन् 1905 में उत्तर भारत में भयंकर भूकंप हुआ था और प्लेग की महामारी में सत्तावन हज़ार लोग मारे गए। उस दौरान इस अधिकारी ने बहुत हिम्मतपूर्वक काम किया था। आचार्यश्री ने उससे परिचय करवाया। वह परस्पर बढ़े ऐसी शुभेच्छा व्यक्त की। अधिकारी ने इस परिवार की व्यापारी पेढ़ी के उच्च मानदण्डों के बारे में सुन रखा था।

रास्ते में गिरधारी ने मुनीमजी से पूछा : 'आचार्यदेव अंग्रेजी जानते हैं ?'

'हाँ। जिस तरह वह संस्कृत लिखते और बोलते हैं वैसे ही अंग्रेजी भी। अंग्रेज अधिकारियों और यूरोप के दूसरे जिज्ञासुओं को प्राच्य विद्या सिखाते-सिखाते वे स्वयं भी अंग्रेजी के ज्ञाता हो गये। वे अक्सर कहते हैं कि अंग्रेज मेरे शिष्य हैं और गुरु भी। बंग-भंग के विरोध में आंदोलन चल रहा था उन दिनों कलकत्ते में ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने के लिए एक विशाल सभा आयोजित की गई थी। आचार्यदेव ने उसमें भाग लिया था। कलकत्ते में आपकी हवेली में ही रुके थे। आपकी सुशीला भाभी उन्हें कहीं और उतरने भी न दें। सभा में साथ गई थीं। अखबार में आचार्य विभूति मिश्र का भाषण छपा था। उसके दो वाक्य मुझे अभी याद हैं : 'मैं अंग्रेजों का तिरस्कार नहीं करता क्योंकि मैं हिन्दू हूँ। मैं शोषण और पराधीनता का विरोध करता हूँ क्योंकि मैं अमृतपुत्र हूँ।'

'मैं बड़ा होने पर आचार्यदेव का शिष्य बनूँगा।'

'आप उनके शिष्य हैं ही। आपका पूरा परिवार अपने को उनका शिष्य मानता है। आपके पिताजी जब कभी आते हैं, मिश्रजी का दर्शन किए बिना वापस नहीं जाते। आपकी जन्मकुंडली उन्होंने कृपा करके बना दी है। सामान्य तौर पर वे ऐसा काम नहीं करते हैं, किन्तु आपके पिताजी की विद्वत्ता और भलमनसाहत के लिए पक्षपात है, इसीलिए।'

गिरधारीलाल को पता न था कि उसके भविष्य के प्रति गुरुजन चिंतित हैं। भाँग के नशे में तीसरी मंजिल

से गिरने की घटना के बाद उसके दुस्साहसी मित्रों का साथ छुड़ाने के उपाय खोजे जा रहे हैं। पर किन मित्रों को दुस्साहसी कहा जाय ? नागर लड़कों को या मारवाड़ियों को ? इसके अलावा, पिछली बार आकर किशोरीलाल जो सलाह-सीख दे गए उसका पालन हो तो कोई चिंता की बात नहीं।

उसे कलकत्ते भेजने का उपाय बुआजी को स्वीकार न था। बिना गिरधारी के वे हवेली की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। उनके मानने के मुताबिक गिरधारी और उसके मित्रों में कोई ऐब नहीं है। विजया का नशा तो शैवों का आभूषण माना जाता है। बनारस में ऐसे तो कितने ही ब्रह्मदेव हैं जो भाँग पीकर गंगा पार करके अपनी पाचनशक्ति बढ़ाते हैं।

15 फरवरी, 1915 के दिन गोपालकृष्ण गोखले का अवसान हुआ। आचार्यदेव की अध्यक्षता में शोकसभा का आयोजन हुआ। मुनीमजी व्यवस्था में लगे हुए थे। हवेली में होनेवाली चर्चाओं के आधार पर बुआजी ने गिरधारी को समझाया कि गोखले और तिलक के विचारों में क्या अंतर है। लोकमान्य तिलक की उदात्त विचारधारा गोखले को क्यों स्वीकार नहीं थी । गांधीजी दक्षिण आफ्रीका से स्वदेश लौटे। गोखले ने उन्हें सलाह दी : देश के कोने-कोने में घूम डालो । यहाँ की जनता के दु:ख-दर्द समझो। तब तक बोलना बंद ! जिन्हें गांधीजी ने इतना आदर दिया उन गोखले की महानता स्वयं स्पष्ट थी । कालिदास के प्रथम नाटक 'मालविकाग्निमित्रम्' के आरंभ में महाकवि ने जिस विवेक की — आत्मप्रतीति की बात की है, उसे मिश्रजी ने स्मरण किया। उसी आत्मप्रतीति ने गोखलेजी को राष्ट्रीय नेता बनाया। उस समय देश में नए-पुराने के बीच भारी खींचतान थी। महाकवि कालिदास के समय में भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। जो कुछ पुराना या परंपरागत है वह श्रेष्ठ है ऐसा मानना ही नहीं चाहिए। जो कुछ नया है उसकी उपेक्षा भी उचित नहीं। सत्पुरुषजन स्वविवेक से परख कर ही स्वीकार या अस्वीकार करते हैं जब कि मूढ़ लोग दूसरों की बुद्धि से चलते हैं। गोखलेजी ने परप्रत्यय के बदले आत्मप्रत्यय पर बल दिया। परंपरा को समझकर उसका पालन करने में भी कम साहस की बात नहीं है।

सभा में से लौटकर मुनीमजी अपने घर गए। गिरधारी झूले पर बैठा बुआजी से शोकसभा के बारे में बातें कर रहा था। तभी उसे हवेली का पुस्तकालय देखने का मन हुआ। उसमें रखी हुई पुस्तकों के बारे में बुआजी कुछ बता सकें ऐसा न था। बहुत-सी पुस्तकें शौक से रखी गई थीं तो कुछ बेचने आनेवालों को प्रोत्साहित करने के लिए खरीदी गई थीं। हवेली में सभी आराम कर रहे थे। किसी को क्यों कष्ट दिया जाय ? बुआजी पुस्तकों की आलमारियों की चाबियाँ ले आईं। पहली आलमारी में से ही गिरधारी को 'मालविकाग्निमित्रम्' की प्रति मिल गई। निकाला, श्लोक खोज लिया ।

पुराणमित्येव न साधु सर्वम्
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्।
संत: परीक्ष्यान्यतरत् भजन्ते
मूढ: पर प्रत्ययनेन बुद्धि: ॥

दूसरे दिन दो बार श्लोक पढ़ा। पुस्तक आलमारी में रखी। चाबी लौटाते हुए बुआ के सामने प्रसन्न मुद्रा में खड़े श्लोक बोल गया। बुआ की खुशी बढ़ गई। वह शिवमंदिर का चबूतरा धोने जा रही थीं। ऐसा काम गणेशीबुआ नौकरों से नहीं करवातीं। कोई पूछे तो तर्क देती हैं : हम प्रार्थना स्वयं करते हैं या दूसरों से करवाते हैं ? और यह सफाई तो पूजा का ही अंग है।

गिरधारी पानी ला देता था, बुआ मंदिर का चबूतरा धो रही थीं तभी कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ी, दो बार । यह आवाज़ परिचित थी। अवश्य, किसी की गेंद उछलकर हवेली के प्रांगण में पड़ी।

पानी भरी बाल्टी बुआ को देकर गिरधारी ने जाकर देखा। अंदाज सही निकला। गेंद उछलकर अहाते के अंदर आई और फिर उछलकर कुएँ में गई। अहाते के बाहर एक बालक लाचार खड़ा है।

अब करना क्या ? बुआ से कहूँगा तो शायद वे उस बच्चे को धमकाएँगी। एक तो उसने गेंद खोई, ऊपर से डाँट । नौकर दिखलाई न पड़ा।

गेंद खोकर बच्चा बैसे ही खड़ा है, चुपचाप, लाचार।

क्या मैं कुएँ में से गेंद बाहर नहीं निकाल सकता ?

मंदिर के चारों ओर की सफाई का काम पूरा करके बुआ गईं तब तक गिरधारी ने हो सके उतने विकल्प सोचे । अंत में एक योजना पर अमल करना आरंभ किया। पानी काढ़नेवाली बाल्टी की रस्सी मजबूत थी। उसका एक सिरा छुही में मजबूती से बाँधकर कुएँ में उतरूँ। धीरजपूर्वक इस योजना पर कार्यारंभ किया ही था कि गणेशीबुआ ने उसके नाम की पुकार की। उनकी आवाज़ में चिंता थी। रस्सी छुई से बाँध रखी थी, खींचकर गांठ पक्की की थी। बोला : यहीं हूँ, अभी आता हूँ ! गिरधारी ने ठंडे कलेजे से उत्तर दिया था किन्तु गणेशीबुआ को चैन आया। आ रहा हूँ यह कहने के बजाय वह रोज की तरह दौड़कर क्यों नहीं आया ? पास आकर देखा। पूछा ? गिरधारी ने गेंद निकालने की योजना समझाई।

'रस्सी हाथ में से सरक जाय और तू कुएँ में गिर जाए तो ?'

नहीं गिरूँगा। रस्सी अच्छी तरह पकडूँगा।'

'यह भी हो सकता है कि ऊपर की गाँठ खुल जाए और तू —'

'तो कुएँ के पानी में डुबकी लगाकर ऊपर आऊँगा। तैरूँगा। यदि गंगा के प्रवाह में तैर कर सभी साथियों से आगे निकल जाता हूँ तो घर के कुएँ में नहीं तैर सकूँगा ? इसका पानी तो स्थिर है।'

अरे पगला ! स्थिर पानी गहरा भी होता है। इतना भी नहीं सोचा कि कुएँ में गिरने पर चोट भी लग सकती है। अधिक लगे और बेहोश हो जाओ तो ? एक तुच्छ गेंद के लिए तू इतना खतरा मोल ले रहा है !

गणेशीकौर को गिरधारी की यह दलील छू गई। उसका परमार्थी स्वभाव पसंद आया। पलभर सोचने के बाद गिरधारी ने बाँधी हुई रस्सी का छोर बुआ ने छोड़ दिया, फिर कुछ उलझन के साथ बाल्टी कुएँ में ढील दी। खाली बाल्टी के साथ गेंद खेलने लगी। बाल्टी भर गई, गेंद एक ओर से अंदर आकर दूसरी ओर निकलने लगी। एक क्षण में सूई में एक ओर डोरा डालनेवाली बुआ की धारणा-शक्ति यहाँ सफल नहीं हो रही थी। गिरधारी देखता रहा, फिर आस-पास देखकर पूजा के फूलों की टोकरी ले आया। बाल्टी की जगह टोकरी का उपयोग करने की गिरधारी को सूझी युक्ति द्वारा बुआजी ने गेंद बाहर निकाली। अहाते के उस ओर खड़े बालक को कल्पना भी नहीं थी कि हवेली के कुएँ में गिरी गेंद उसे वापस मिलेगी। दूसरी ओर के ऊँचे मकानवाले तो ऊपर से गालियाँ देते थे। किन्तु यहाँ गिरधारी की आँखों का भाव वह पहचान गया था, इसीलिए लाचारी के नीचे आशा छिपाए खड़ा था। गिरधारी का इशारा समझकर वह दाहिनी ओर से घूमकर दरवाजे से अंदर आया। उसकी मुखमुद्रा देखकर बुआजी को दया आई। पूछा : 'भूखा है ?' लड़का बोला नहीं। बुआजी को लगा कि बालक यहाँ नास्ता करने नहीं बैठेगा। उन्होंने फल दिए। उसकी नन्हीं हथेलियों में फल और गेंद बड़ी मुश्किल से समाए। वह घर जाकर खाएगा, छोटी बहन के साथ। गिरधारी उसे अचरज और आदर से देखता रहा।

गणेशीकौर कुछ दिनों तक यह घटना सबसे छिपाती रहीं। गिरधारी को बाल्टी की जगह फूल की टोकरी काम में लाने का विचार आया, यह देखकर वह निहाल हो गई थीं। भगवान शंकर ने उसे कैसी कुशाग्र बुद्धि और

निर्भयता दी है ! उसे कलकत्ता भेजने का विचार उसके फूफा को सूझा तब बुआजी के एकांत आँसुओं ने उन्हें रोक दिया था, यदि कुएँ में उतरने के साहस के बारे में होठ खोलें तो ?

फिर भी कौन जाने किस तरह उस मौलिक दुस्साहस का पता बुजुर्गों को चल गया था और बुआजी भारी दुविधा में पड़ गई थीं।

इसी बीच भइया, जडावलाल और गिरधारी के एक संयुक्त साहस की चर्चा पूरे मुहल्ले में उठी। जिसके कारण कर्मकांडी ब्राह्मणों और नागर ब्राह्मणों के बीच दुश्मनी पैदा हो।

घाट पर पितृतर्पण के लिए आये एक दंपत्ति को दो चालाक पंडे ठग रहे थे। यह देखकर एक शिक्षित प्रवासी ने उनसे बातचीत शुरू की। पंडे उसका जवाब देना नहीं चाहते थे। उस दंपत्ति के पास अब घर लौटने के लिए भाड़ा भी नहीं बचा था। पंडों की नज़र युवती के गले में पड़े मंगलसूत्र पर थी। मंगलसूत्र गिरवी रखवाकर पैसा दिलाने के लिए पैरवी करने हेतु वे तैयार थे। वह प्रवासी ऐसा नहीं होने देना चाहता था।

'आप लोग धार्मिक व्यक्ति होकर भी इस बहन को मंगलसूत्रविहीन करने के लिए तैयार हैं। धिक्कार है आपके स्वार्थ को और धिक्कार है इस बहन के डरपोक पति को !'

जडावलाल यह विवाद पास से सुन रहा था। इसलिए गिरधारी और भइया भी उसमें शामिल हो गये। पंडे युवक को नास्तिक कहकर अपमानित कर रहे थे। उससे ज़रा भी विचलित हुए बिना युवक उस दंपति को और अधिक ठगाये बिना वहाँ से निकल जाने के लिए समझा रहा था। वे बिचारे हतप्रभ खड़े थे। उन्होंने माँ-बाप के मोक्ष के लिए जरूरी कर्मकांड करने हेतु काशी की यात्रा की थी। जो करने की उन्होंने मनौती रखी थी उसमें अंधश्रद्धा है ऐसा वे मानने के लिए तैयार न थे। इतना अधिक खर्च होगा यह अंदाजा उन्हें न था। हम जितना देंगे उतनी दक्षिणा लेकर ब्राह्मण कर्मकांड कर देंगे इस गिनती से वे इन दो पंडों में विश्वास रख बैठे थे। किन्तु ये पंडित तो विधि बढ़ाते गये और बीच-बीच में पैसे रखवाते गये। अब यदि विधि अधूरी रहे तो जो खर्च किया वह भी व्यर्थ ! लाख के साथ सवा लाख ! मंगलसूत्र जायेगा तो दूसरा करा लेंगे। किन्तु संकल्प पूरा न हुआ तो किसे पता फिर काशी आ सकेंगे या नहीं ।

पंडे निश्चिंत होकर मुस्कुरा रहे थे। युवक लाचार होकर वहाँ ले चला। एक पंडे ने उसके पीछे थूकते हुए गाली दी। नरक में जायेगा यह नास्तिक तो !

'और आप दोनों स्वर्ग में जायेंगे ? आप तो काशी को नरक बना रहे हैं !' — युवक ने पीछे मुड़कर कहा।

सुनते ही पंडे ने अपनी लाठी हाथ में ले ली।

उसी समय जड़ावलाल को पैरों के पास पड़ा पत्थर दिखाई दिया। वह झुककर पत्थर का उपयोग निश्चित कर हाथ में उठाये उससे पहले तो भइये ने फुर्ती से पत्थर लेकर निशाना लगाया। पंडे की पीठ पर चोट लगी। युवक को छोड़कर वह भइये के पीछे पड़ा। गिरधारी बीच में आया तो दूसरे पंडे ने उसे धक्का दिया। गिरधारी नीचे गिरते-गिरते बचा । पंडा खड़े होकर मित्र को लात मारनेवाला है यह देख जडावलाल ने उसकी धोती पकड़ने की कोशिश की। धोती की खूँट हाथ में आते ही धोती छूट गई। यह देखकर वह दंपति भी हँस पड़े। आगे सरक गया भइया बोला : जानते हो हम कौन हैं ? इस जड़ावलाल के पिता बड़े अफसर हैं, इस गिरधारी के पिता देश के बड़े व्यापारी हैं। और मेरे पिता काशी के बड़े पहलवान हैं। उन्हें यहाँ के गुंडे भी सम्मान देते हैं। उन्हें बुला लाऊँ या इस यजमान की विधि जल्दी पूरी कर देते हो ?

पंडों ने पहले मिली हुई दक्षिणा में ही विधि पूरी कर दी। किन्तु बाद में आय का बँटवारा कर तुरंत इन तीनों बालकों के विषय में उनके अभिभावकों से शिकायत करने के लिए रवाना हुए। ये लड़के तो उस 'नास्तिक'

युवक से भी अधिक भयजनक साबित हुए।

पंडे 'शिवालय' और जड़ावलाल के यहाँ अपेक्षित प्रभाव डाल सके। भइया के पिता घर पर न थे इसलिए पंडों ने अड़ोसी-पड़ोसी को अपनी फरियाद सुनानी शुरू की। ब्राह्मणों को मान देने का आदती किसन अहीर थोड़ी देर मौन रहा किन्तु बाद में एक पंडे को पहचान गया। मालिक के घर की बदनामी करने के लिए आये व्यक्तियों को जबड़ातोड़ जवाब देने के लिए वह सामने आया।

'ब्राह्मण देवता, हम कल मिले थे।'

'मिले होंगे। तो क्या है ?'

'पूछिये कहाँ मिले थे ?'

पंडे के चेहरे का नूर उड़ गया। उसने मुँह लटकाये कहा :

'और कहाँ, घाट पर !'

'दिन में घाट पर, रात को ? मैनाबाई के यहाँ।'

'अरे हट; बदनामी करता है ब्राह्मण की ?'

'तो कहो जनेऊ की सौगंध खाकर कि वहाँ नहीं आये थे।'

'हाँ, भई हाँ, आया था, दक्षिणा लेने।'

'लेने या देने ?'

वार्तालाप यहाँ तक पहुँचा ही था कि कृष्णाराम का आगमन हुआ। एक क्षण में वह सब कुछ समझ गया, बोला :

'किसन तुम्हारे भाई का वह साँड़ गली के बच्चों को खेलने नहीं देता। जा, जाकर यहाँ ले आ न। इन भूदेवों को भेंट दें।' भूदेव समझ गये। उन मरकहे साँड़ों की कीर्ति उन्होंने सुन रखी थी। वे लगभग शाप की भाषा बोलते हुए भइये के दरवाजे के बाहर निकल गये।

किसन को अब ख्याल आया कि उन भूदेवों को उसने मैनाबाई के यहाँ देखा था यह घोषित करके कितनी गंभीर गलती की है ! मालिक हाजिर होते तो वे इन पंडों के साथ ही मुझे भी विदा कर देते।

### शब्दार्थ-टिप्पण

**वंदन** नमन **मुताबिक** अनुसार **लाचारी** विवशता **विवेक** सद्‌बुद्धि, भले-बुरे का ज्ञान **अहाता** चारों ओर से घिरा हुआ स्थान, चार दीवारी के भीतर की खुली जगह **दुविधा** असमंजस **सौगंध** शपथ **भूदेव** ब्राह्मण **कीर्ति** यश **विस्मयविमूढ़** आश्चर्य से हतप्रभ हो जाना

### स्वाध्याय

**1. निम्नलिखित प्रश्नों के एक-एक वाक्य में उत्तर लिखिए :**

(1) गिरधारी बुआजी का विशेष आशिष किस प्रकार से प्राप्त करता है ?

(2) गिरधारी को गुरुजी के यहाँ क्यों जाना था ?

(3) बुआ ने दान के कितने प्रकार बताए ? कौन-कौन से ?

(4) आचार्य के यहाँ अंग्रेज अधिकारी क्यों आता था ?

(5) अंग्रेज अधिकारी ने गिरधारी के परिवार के बारे में क्या सुन रखा था ?

(6) बुआ अपने नौकर से शिवमंदिर का चबूतरा क्यों नहीं धुलवाती थीं ?

(7) पहली आलमारी में से गिरधारी को कौन-सी पुस्तक मिली ?

(8) आचार्य विभूति मिश्र किस तिथि को दक्षिणा स्वीकार करते थे ?

**2. निम्नलिखित प्रश्नों के दो-तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए :**

(1) आचार्य विभूति मिश्र का घर कैसा था ?

(2) मौखिक परंपरा से शिक्षा देने का क्या अभिप्राय है ?

(3) वस्तु की दृष्टि से दान के कितने और कौन-कौन से प्रकार हैं ?

(4) सात्विक दान किसे कहा गया है ?

(5) आचार्य के पास जाने से पहले बुआ ने गिरधारी को क्या हिदायत दी ?

(6) आचार्य ने ऐसा क्यों कहा कि लड़का बड़ों जैसा व्यवहार कर रहा है ?

(7) आशीर्वाद देते समय आचार्य ने गिरधारी से क्या कहा ?

(8) मुनीमजी को आचार्य के भाषण के कौन-से वाक्य आज भी याद हैं ?

**3. निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए :**

(1) पितृतर्पण के लिए आया दंपति पंडों के चंगुल में किस प्रकार फँस गया ?

(2) पंडों द्वारा बालकों के अभिभावकों को शिकायत करने का क्या परिणाम आया ?

(3) कुएँ में से गेंद निकालने के लिए गिरधारी ने क्या योजना बनाई ?

(4) अंततः कुएँ में से गेंद किस प्रकार बाहर निकाली गई ?

**4. निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए :**

(1) बेटा, दान की बात किसी से नहीं कही जाती।

(2) संसार के महाभय से मुक्त होने का उपदेश ही अभयदान है।

(3) स्वकर्म से यशस्वी बनो ! राष्ट्र और संस्कृति की सेवा के एक से बढ़कर एक अवसर प्राप्त करते रहो।

**5. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए :**

अशिष्ट, उत्साही, कीर्ति, पक्ष, सभ्य।

**6. निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए :**

नम्रता, अशिष्टता, कोमलता, अध्यक्षता, विवशता।

**7. निम्नलिखित शब्द-समूहों के लिए एक-एक शब्द दीजिए :**

(1) जानने की इच्छा रखनेवाला

(2) धर्म का उपदेश देनेवाला

(3) कुश के समान तेज बुद्धिवाला

**8. निम्नलिखित शब्दों का संधि-विच्छेद कीजिए :**

समादर, संयुक्त, संसार, शिवालय, उल्लेख, शुभेच्छा, पुस्तकालय।

**9. निम्नलिखित शब्दों का विग्रह करके समास-भेद बताइए :**

चरणरज, साष्टांग, शिवालय, गृहकार्य, गिरधारी, सस्नेह, मुखमुद्रा, पीताम्बर।

**10. उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :**

(1) पंडे के चेहरे का ...................... उड़ गया।

(A) नूर (B) होश (C) रंग (D) भाव

(2) जो कुछ नया है उसकी ...................... भी उचित नहीं।

(A) अपेक्षा (B) उपेक्षा (C) प्रशंसा (D) व्याख्या

(3) मंगलसूत्र ...................... पैसा दिलाने के लिए पैरवी करने हेतु वे तैयार थे।

(A) तुड़वाकर (B) गिरवी रखवाकर (C) बिकवाकर (D) खरीदकर

(4) हम अपना कर्त्तव्य समझकर योग्य व्यक्ति को गुप्तदान करें तभी ......................।

(A) वह सार्थक होगा (B) वह सात्विक होगा (C) वह सफल होगा (D) वह सच्चा होगा

**विद्यार्थी-प्रवृत्ति**

- अपने परिवार में 'गुरुपूर्णिमा' पर्व की परंपरा एवं विशेषता की चर्चा कीजिए।
- 'अपने आदर्श गुरु' विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

**शिक्षक-प्रवृत्ति**

- वर्ग में 'गुरुपूर्णिमा' का महत्त्व समझाएँ।
- 'गुरु गोविंद दोऊ खड़े ................ गोविंद दियो बताय' दोहे का भाव समझाएँ।

●

# 29 गज़ल

**ज्ञानप्रकाश विवेक**
(जन्म : सन् 1949 ई.)

इनका जन्म हरियाणा के बहादुरगढ़ में हुआ था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा बहादुरगढ़ में सम्पन्न हुई। ओरिएंटल इंशोरेंस कम्पन्नी से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के बाद आप स्वतंत्र लेखन से जुड़ गये। 'पिताजी चुप रहते हैं', 'शिकारगाह', 'मुसाफिरखाना' और 'सेवानगर कहाँ है' इनके विशेष रूप से चर्चित कहानी संग्रह है। 'गली नम्बर तेरह', 'अस्तित्व', 'दिल्ली दरवाजा' तथा 'आखेट' इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 'प्यास की खुशबू', 'धूप के हस्ताक्षर', 'आँखों में आसमान', 'इस मुश्किल वक्त में' तथा 'गुफ्तगू अवाम से' इनके ग़ज़ल संग्रह हैं।

ग़ज़ल बिम्ब और प्रतीकों की भाषा है। किसी भी बात को सीधे कह देना ग़ज़ल का मिजाज नहीं है। प्रस्तुत ग़ज़ल में पत्थर के माध्यम से अलग-अलग दृश्य प्रस्तुत किये गये हैं। स्वार्थी, लालची और मतलब-परस्त लोगों के बीच रहने का यह अर्थ नहीं है कि हम भी उन्हीं की तरह हो जाएँ। सन्नाटे की अपेक्षा संवाद अच्छा होता है, क्योंकि संवाद से ही मन की परत खुलती है, समस्याओं के समाधान मिलते हैं।

---

अब तो हर हाथ में पत्थर है, संभालो पत्थर
मैंने पहले भी कहा था न उछालो पत्थर

हमने माना कि पत्थर का शहर है लेकिन
ये जरूरी तो नहीं, खुद को बना लो पत्थर

देखना, आपसे संवाद करेगा पानी
आप गुमसुम पड़े तालाब में डालो पत्थर

गिर पड़े हैं यहाँ पहले भी परिन्दे कितने
इतने ऊँचे न हवाओं में उछालो पत्थर

क्या पता शाप से पीड़ित हो अहिल्या कोई
रास्ते में जो पड़ा है, वो उठा लो पत्थर

न मिली आग तो पत्थर ही रगड़ने होंगे
इसलिए आप से कहता हूँ बचा लो पत्थर।

## शब्दार्थ-टिप्पण

**खुद** स्वयं **संवाद** वार्तालाप **गुमसुम** चुपचाप **परिन्दे** पक्षी **पीड़ित** दु:खी **अहिल्या** गौतम ऋषि की पत्नी।

## स्वाध्याय

**1. प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए :**

(1) पत्थर किनके हाथों में है ?

(2) पत्थर के शहर में रहनेवाले लोगों के विषय में शायर को क्या भय है ?

(3) पत्थर युग में आग कैसे पैदा हुई ?

(4) अहिल्या किसके अभिशाप से पीड़ित थी ?

**2. प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए :**

(1) कवि पत्थर ऊँचे उछालने से क्यों मना कर रहा है ?

(2) शायर के अनुसार पानी आपसे कब संवाद करेगा ?

(3) कवि पत्थरों को बचाकर रखने के लिए क्यों कहता है ?

**3. प्रश्नों के उत्तर पाँच-सात वाक्यों में लिखिए :**

(1) 'रास्ते में पड़े पत्थर उठाने के पीछे' कवि का आशय स्पष्ट कीजिए।

(2) मानव पत्थरों का क्या-क्या उपयोग करता है, समझाइए।

**4. काव्य-पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए :**

''क्या पता शाप से पीड़ित हो अहिल्या कोई।
रास्ते में जो पड़ा है वो उठा ले पत्थर।''

**5. सही विकल्प चुनकर काव्य-पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए :**

(1) देखना आपसे संवाद करेगा ......................।

(A) पानी (B) ज्ञानी (C) दानी (D) ध्यानी

(2) मैंने पहले भी कहा था न उछालो .....................।

(A) पत्थर (B) कंकर (C) कीचड (D) धूल

(3) हमने माना कि ये पत्थर का ........................ है लेकिन।

(A) शहर (B) नगर (C) डगर (D) मगर

(4) गिर पड़े हैं यहाँ पहले भी ......................... कितने।

(A) परिन्दे (B) दरिन्दे (C) चरिन्दे (D) कारन्दे

**6. समानार्थी शब्द लिखिए :**

**हाथ, पत्थर, परिन्दे, तालाब, हवा, रास्ता।**

**7. वर्तनी सुधारकर लिखिए :**

**लेकीन, जरुरि, पिडित, अहील्या, गूमसूम।**

**विद्यार्थी-प्रवृत्ति**

- ग़ज़ल का कक्षा में सस्वर पाठ करें।

**शिक्षक-प्रवृत्ति**

- छात्रों से अन्य ग़ज़लों का संकलन करवायें।

●

# 30 नदी बहती रहे

**भगवतीशरण सिंह**

(जन्म : सन् 1919 ई.; निधन : 1988 ई.)

इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा वाराणसी और इलाहाबाद में हुई। इन्होंने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार की केंद्रीय सेवा में अनेक उच्च पदों पर काम किया। तमाम पदों पर काम करते हुए इन्होंने अपनेआपको साहित्य से जोड़े रखा। इन्होंने सन् 1938 ई. से कहानी और निबंधों से अपने लेखन का आरंभ किया। वे हमेशा हिंदी साहित्य की नवीनतम प्रवृत्तियों से जुड़े रहे। इनकी लगभग बीस पुस्तकें प्रकाश में आ चुकी हैं। 'अपराजिता', 'जंगल और जानवर' जैसे कहानी-संग्रह, 'मानव के मूल में साहित्य : पहचान और पहुँच' जैसा निबंध-संग्रह और 'हिमनील' और 'वन पाहुन' जैसी पर्यावरण से संबंधित पुस्तकें विशेष उल्लेखनीय हैं।

'नदी बहती रहे'निबंध उनकी 'वन पाहुन' शीर्षक पुस्तक से लिया गया है। इस निबंध में उन्होंने यह चिंता प्रकट की है कि आज का आदमी 'वनस्पतियों और पानी के रिश्तों को भूलकर अपने को भी अकेला बना रहा है और उनके आपसी संबंधों का भी विच्छेद करता जा रहा है। गंगा, यमुना, नर्मदा और कावेरी आज भी भारत में बह रही हैं, पर अब वे मोक्षदायिनी नहीं रह गयी हैं।' 'जल-प्रदूषण' को लेकर भी लेखक की चिंता प्रकट हुई है। वे जंगल को बचाने पर इसलिए भी ज़ोर देते हैं कि वो 'भूमिगत जल' को बचाकर नदियों को उथली होने से बचाते हैं।

---

भारत नदियों का देश रहा है। इसलिए नहीं कि इस देश में नदियों की ही अधिकता है बल्कि इसलिए कि इस देश में नदियों का विशेषरूप से सम्मान हुआ है। वे हमारे जीवन में बहुत महत्त्व रखती रही हैं। उनसे हमारा आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन समृद्ध हुआ है। आज वे अपना प्राचीन महत्त्व खोती जा रही हैं। प्राचीन ग्रंथों में विशेषकर वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में हमारे वनों, पर्वतों और नदियों के बारे में प्रचुर सामग्री मिलती है।

नदियों को देवियों का स्वरूप प्रदान किया गया। हर संकल्प में जिस 'जंबूद्वीपे भरत-खंडे' का उच्चारण प्रत्येक भारतीय सुनता रहता है, वह नदियों का यह आवाहन भी सुनता रहता है-

'गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदे-सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।'

इन नामों को सुनने वाला भारतीय न केवल सात प्रमुख नदियों का नाम जानता रहता है, वरन उसे भारत की एकता का भी ज्ञान होता रहता है।

जिस प्रकार वनों का वृक्षों से, नदियों का जल से संबंध है, उसी प्रकार नदियों का वनों से भी संबंध मानना चाहिए । वनों के रहते नदियाँ स्वत: फूट पड़ती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। वन नहीं रहेंगे तो नदियाँ नहीं रहेंगी। नदियों के न रहने पर हमारी संस्कृति विच्छिन्न हो जाएगी। हमारा जीवन-स्रोत ही सूख जाएगा। अत: वनों की आवश्यकता और महत्ता को अस्वीकार करके न तो हम आर्थिक उन्नति के सोपान गढ़ सकते हैं और न स्वास्थ्य और सुख की कल्पना ही कर सकते हैं।

आदमी की ज़िंदगी अपने-आप में बहुत ही अकेली और नीरस होती है। आदमी-आदमी के रिश्ते-नाते उसका बहुत दूर तक साथ नहीं देते। पर जब वह इनसे आगे बढ़कर एक व्यापक संबंध कायम करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ वन, पर्वत, नदी आदि सब चल पड़ते हैं। तब वह अकेला नहीं रह जाता। आज वह वनस्पतियों और पानी के रिश्ते को भूलकर अपने को भी अकेला बना रहा है और उनके आपसी संबंधों का भी विच्छेद करता जा रहा है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी आज भी भारत में बह रही हैं पर अब वे मोक्षदायिनी नहीं रह गई हैं ।

गंगा की उन्नीस प्रमुख सहायक नदियाँ बताई गई हैं। गंगा के ऊपरी प्रवाह में अलकनंदा, मंदाकिनी के जल से आपूरित होकर इसमें मिलती है तत्पश्चात रामगंगा, गोमती, धूतपापा, तमसा, सरयू (घाघरा), गंडकी, कमला, कौशिकी (कोसी), शोण आदि नदियाँ अपने जल में नागर क्षेत्रों का मल एकत्र करती हुई, बड़े-बड़े कल-कारखानों का उच्छिष्ट बटोरती हल्दिया के पास सागर संगम करती हैं। भागीरथी और पद्मा के अतिरिक्त उसमें कई अन्य नदियों का भी जल मिलता है। फिर भी पानी के बहाव की कमी के कारण वहाँ इसमें बड़े-बड़े सिकतामेरु बन जाते हैं जो जहाज़ों को आने से रोकते रहते हैं। जब इस पुण्यतोया नदी का यह हाल हो रहा है तो औरों का क्या कहा जाए।

गंगा के डेल्टा के समुद्रांत छोर ने वनाच्छादित एक विस्तृत दलदली क्षेत्र को घेर रखा है जिसे सुंदरवन कहा जाता है। इस सुंदरवन की दर्दनाक दशा की खबरें आए दिन अखबारों में छपती रहती हैं। अब सुंदरवन भी सुंदर नहीं रह गया। गंगा का केवल पौराणिक महत्त्व ही नहीं है। उसे आज के संदर्भ में भी देखना होगा।

यही हाल यमुना का भी है। यह गंगा की पहली तथा बड़ी पश्चिमी सहायक नदी है। यह हिमालय पर्वतमाला में कामेत पर्वत के आगे से निकलती है।

ज़रा-सा भी ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सारा भारत आज भी प्रमुख नदियों के समूह में बँटा हुआ है। मध्य देश में गंगा-यमुना समूह, पूर्व में ब्रह्मपुत्र-मेघना समूह, पश्चिम में नर्मदा-ताप्ती समूह, दक्षिण-पूर्व (उड़ीसा) में महानदी समूह हैं। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी-समूह और कावेरी नदी-समूह। सिंधु नदी-समूह की बात अब नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र-मेघना समूह से सिंचित अधिकांश क्षेत्र अब बंगलादेश ही है। पर सरस्वती-दृषद्वती समूह से अनुप्राणित भू-भाग अभी भी भारत में ही हैं। कुछ नदियों के विस्तृत विवरण के सहारे प्राचीन भारत के इतिहास पर विशेषकर उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इन नदियों के किनारे बसे नगर या तो विशाल एवं शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ थे अथवा शिक्षा और व्यवसाय के केंद्र। मंदिरों की भी स्थापना इनके किनारे हुई। इस कारण ये हमारी स्थापत्यकला की भी स्मृतियाँ जगाती रहती हैं। इन मंदिरों का प्रश्रय पाकर जिस प्रकार संगीत, नृत्य और नाट्य-कला की सृष्टि और संवर्धन हुआ उसमें भी इन नदियों का महत्त्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

भारतीय-भू-भौगोलिक स्थिति को ठीक-ठीक समझने के लिए यहाँ के पर्वत-समूहों और नदी-समूहों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। इन पर्वत और नदी-समूहों के परिप्रेक्ष्य में भी भारत का पूरा चित्र बनता ही नहीं, जब तक उसकी वनराजि को सम्मिलित न किया जाए। कालिदास के समय तक भी इस देश का अधिकांश भाग जंगलों से आवृत्त था। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि छठी शताब्दी ईसापूर्व तक इस देश में 'स्वयंजात वन' की स्थिति बनी रही । इसके उदाहरणस्वरूप कुरुप्रदेश के कुरुजंगल वन्य क्षेत्र को उपस्थित किया जा सकता है। साकेत में अंजनवन तथा वैशाली और कपिलवस्तु में महावन प्राकृतिक (स्वयंजात) वन थे। वैशाली नगर के बाहर महावन निरंतर हिमालय तक फैला हुआ था। कपिलवस्तु के महावन की भी यही दशा थी। कौशांबी से कुछ दूर और श्रावस्ती के तट में पारिलेण्यकवन था, जिसमें हाथी रहते थे। रोहिणी नदी के तट पर स्थित लुंबिनी वन

भी एक प्राकृतिक जंगल था। इस प्रकार यह देश नदियों, पर्वतों और वनों से भरा-पूरा संसार के देशों में अतुलनीय था। पर मानव आबादी कम थी।

आज स्थिति कुछ दूसरी ही है। भारत की विशाल और बढ़ रही आबादी के लिए पानी की माँग, घरेलू उपयोग, कृषि-उद्योग, मछली-पालन उद्योग, नौवहन, विद्युत उत्पादन के लिए पूरी की जानी है। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि सारे देश में जल-प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में दूषित पानी से उत्पन्न होनेवाली छूत की बीमारियों, जैसे - हैज़ा, पीलिया, टाइफ़ाइड तथा मछलियों और कृषि उपज को हो रही हानि का उल्लेख किया जा सकता है। उत्तर में डल झील से लेकर दक्षिण में पेरियार और यालियार नदियों तक, पूरब में दामोदर और हुगली से लेकर पश्चिम में थाणा की सँकरी खाड़ियों तक, सब जगह जल-प्रदूषण की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। यहाँ तक कि गंगा जैसी बारह-मासी नदियाँ भी जल-प्रदूषण से बहुत अधिक ग्रस्त हैं। मानव बस्तियों और उद्योगों का गंदा पानी सीधे जल-प्रवाह में मिल जाता है जो अधिकांश रूप से उपयोग करने लायक नहीं रह जाता। रोज़ाना जिस प्रकार गंदा पानी छोड़ा जा रहा है उससे प्राकृतिक जल, जैसे - नदियों, खाड़ियों और समुद्र तटवर्ती पानी को खतरा पैदा हो गया है। अत: ऐसी स्थिति में न कश्मीर ही स्वर्ग रह गया और न काशी ही तीन लोक से न्यारी रह गई। जब गंगा गंगा न रही, तब काशी की क्या स्थिति रहेगी ?

इस देश की नदियाँ ही इसकी श्री रही हैं। जिस देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या नदियों के घाटी-क्षेत्र में निवास कर रही हो, उसे जब पुराणों में असंख्य नदियों का देश कहा गया तो अतिशयोक्ति नहीं थी। जब यह तथ्य सामने आ गया है तो आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेशों के कृषि-विभाग और वन-विभाग तथा सिंचाई आदि विभागों की अलग-अलग अमलदारी समाप्त कर दी जाए। हर प्रदेश में जलागम-क्षेत्र अधिकरणों की स्थापना करके विकास की योजनाएँ एक ही अधिकरण के अधीन इस प्रकार समन्वित करके चलाई जाएँ कि देश के स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की समग्रता सदा आँख के सामने बनी रहे और ऐसा न होने पाए कि एक ही शरीर का एक हाथ दूसरे हाथ को काटता रहे और शरीर भी नष्ट होता रहे। ज़ाहिर है कि वनों और नदियों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है और वन नदियों को न केवल उथली होने से बचाते हैं वरन भूमिगत जल को सुरक्षित रखकर नदी के पानी की कमी को भी पूरा करते रहते हैं। भारत में वनों से आच्छादित भूमि का अभाव दिनों-दिन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है।

भारत में वन्य पशुओं और पक्षियों, वनस्पतियों और जलाशयों की विविधता और बहुलता को सभी मानते रहे हैं। इस संबंध में योजना आयोग का उद्धरण आवश्यक जान पड़ता है - ''भारत पशु तथा प्राणी-संपदा से भरपूर होने के कारण प्राकृतिक जीवित संसाधनों की विपुल विविधता से संपन्न देश है,. जिस पर लाखों व्यक्ति अपने निर्वाह के लिए आश्रित हैं तथा जलभूमि के उचित प्रबंध द्वारा जहाँ देश की मूलभूत जैविक उत्पादकता का संरक्षण पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, वहाँ इसकी आनुवंशिक विविधता की रक्षा तथा उसकी प्रजातियों और परिस्थितिकीय व्यवस्था का संरक्षण केवल उन्हें लगातार उपयोग में लाने की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि हमारे लोगों के भावी अस्तित्व तथा विकास के लिए भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। निरंतर तेज़ी से बढ़ती जा रही जनसंख्या के दबाव के कारण लुप्त होती जा रही प्रजातियों तथा पारिस्थितिकीय व्यवस्थाओं के फलस्वरूप तथा प्राकृतिक पर्यावरण के योजनाविहीन विकास के कारण हमारी प्रजातियों के प्राकृतिक आवास शीघ्रता से समाप्त अथवा कुछ बदलते जा रहे हैं।''

चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के स्वयंजात वन नष्ट हो गए हैं, जहाँ-जहाँ भी दुर्लभ जाति के पशु-पक्षी और वनस्पतियाँ मिलती हैं वे सब प्राय: पहाड़ी क्षेत्र हैं और बढ़ती हुई आबादी के कारण चूँकि इनका नाश रोकना संभव नहीं है अत: इनकी किस्मों की रक्षा अब राष्ट्रीय उद्यानों में ही संभव है। साथ ही इस बात की आवश्यकता है कि वन विभाग स्वयंजात वनों में उगनेवाली वनस्पतियों को वनीकरण की नीति में विशेष स्थान दे, खासकर ऐसी दशा

में जबकि यह स्वीकार कर लिया गया है कि वनों का मुख्य उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना नहीं है। वन जिस समृद्धि की रक्षा करते रहे हैं और जो वह कर सकते हैं, उसके बारे में योजना आयोग का मत स्पष्ट है : ''वे हमारे लोगों के भावी अस्तित्व तथा विकास के लिए भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं।''

ऊपर के उद्धरणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वनों, पर्वतों और नदियों का बहुत नज़दीकी रिश्ता है। ये तीनों ही एक साथ रहते हैं और एक साथ वन और नदियाँ मैदानों में उतरती हैं। लेकिन जिस प्रकार की वन-व्यवस्था आज है उसमें न तो वनस्पतियों, न वन्य पशुओं और न ही नदियों की रक्षा संभव है। वनों का उपयोग उद्योग और व्यापार में होगा। इससे विरत नहीं हुआ जा सकता। वनों की उपयोगिता मानव की समग्र समृद्धि के लिए है। समृद्धि की इस समग्रता में उसकी आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धियाँ शामिल हैं।

देशी पौधों की बात करना और उनकी पहचान में घूमना अब पागलपन में गिना जाने लगा है। पढ़े-लिखे और तथाकथित शिक्षित लोग ऐसी बातों को उपवासास्पद मानते हैं और उन पर बात करना समय का अपव्यय मानते हैं। अब साहित्य में भी उनकी चर्चा नहीं आती। शाल, वेणु, धव, अश्वत्थ, तिंदुक, इंगुद, पलाश, अर्जुन, अरिष्ट, तिनिश, लोध, पद्मक, प्रियाल, ताल, पुन्नाग, पृक्ष आदि नाम और उनकी पहचान सब जगह से खो गई। वनस्पतिशास्त्र की किताबों में भी अगर ये वृक्ष हैं तो अपने वैज्ञानिक नामों से ही जाने जा सकते हैं। इनके देशज अथवा संस्कृत नाम तो समाप्त हो गए। स्वयंजात वनों के न रहने पर वनस्पतियों का वह भंडार समाप्त हो गया।

आज इसकी पहले से कहीं अधिक ज़रूरत है कि हम अपनी ज़मीन को पहचानें, उस पर वनस्पतियों की रक्षा करें और नदियों से स्वच्छ जल प्रवाहित होने दें।

## शब्दार्थ-टिप्पण

**प्रचुर** अधिक मात्रा में **सिकतामेरु** रेत का टीला **उच्छिष्ट** परित्यक्त, जूठन **प्रश्रय** आश्रयस्थान, सहारा, आधार **संवर्धन** वृद्धि **वनराजि** वन की श्रेणी, वन के बीच की पगडंडी **आवृत्त** घिरा हुआ, ढँका हुआ **राजस्व** राज्य की आय **विच्छिन्न** नष्ट, छिन्न-भिन्न **श्री** शोभा, लक्ष्मी।

## स्वाध्याय

**1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए :**

(1) भारत नदियों का देश क्यों कहा जाता है ?

(2) भारत की प्रमुख सात नदियाँ कौन-कौन-सी हैं ?

(3) मानव का जीवन-स्रोत किसे माना जाता है ?

(4) नदियों में रेत के टीले क्यों बन जाते हैं ?

(5) सुंदरवन किसे कहाँ पर स्थित है ?

(6) गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन-सी है ?

(7) यमुना नदी कहाँ से निकलती है ?

(8) लुंबिनी वन कहाँ पर स्थित है ?

(9) जल-प्रदूषण से कौन-कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं ?

**2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए :**

(1) भारत में नदियों का आवाहन किन शब्दों में किया जाता है ?

(2) गंगा का जल पीने योग्य क्यों नहीं रहा ?

(3) जंगलों से नदियों को क्या-क्या लाभ होते हैं ?

(4) नदियों के पानी का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है ?

(5) किस वन में हाथी रहते थे ? वह कहाँ पर स्थित है ?

**3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक लिखिए :**

(1) भारत किन-किन प्रमुख नदी-समूहों में बँटा हुआ है ?

(2) ई.पू. छठी शताब्दी के प्राकृतिक वनों का वर्णन कीजिए।

(3) प्राकृतिक संसाधनों के बारे में योजना-आयोग का उदाहरण स्पष्ट कीजिए।

(4) नदियों और वनों के विकास के लिए सरकार को क्या प्रयत्न करने चाहिए ?

**4. विरोधी शब्द लिखिए :**

माँग, उथली, एकता, प्राकृतिक, सम्पन्न।

**5. संधि-विच्छेद करके लिखिए :**

उल्लेख, अतिशयोक्ति, वनाच्छादित, अध्ययन, अत्यधिक।

**6. सविग्रह समास का नाम लिखिए :**

महावन, भूमिगत, मोक्षदायिनी।

**7. विशेषण शब्द बनाकर लिखिए :**

उत्पादकता, विविधता, प्रकृति, भूगोल।

**विद्यार्थी-प्रवृत्ति**

- ''नदी की उपयोगिता'' विषय पर एक निबंध लिखिए।
- ''वृक्षारोपण कार्यक्रम'' का आयोजन कीजिए।

**शिक्षक-प्रवृत्ति**

- शिक्षक ''वनीकरण का महत्त्व'' की चर्चा करें।
- ''जल ही जीवन है'' - इस सूत्र को समझाएँ।

●

| 31 | # प्रेमपत्र |
|---|---|

**बद्री नारायण**

(जन्म : सन् 1965 ई.)

इनका जन्म बिहार के भोजपुर ज़िला में हुआ था। ये समकालीन हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण कवि गिने जाते हैं। 'सच सुने हुए कई दिन हुए', 'शब्दपदीयम' और 'ख़ुदाई में हिंसा' इनके चर्चित काव्य-संग्रह हैं। कविता को लेकर इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 'भारतभूषण अग्रवाल पुरस्कार', 'शमशेर सम्मान' और 'केदार सम्मान' काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।

इनकी कविताओं में 'प्रेमपत्र' नाम की कविता सर्वाधिक चर्चित कही जा सकती है। कविता के अतिरिक्त सामाजिक इतिहास के क्षेत्र में भी इन्होंने व्यापक स्तर पर काम किया है। इस संदर्भ में इनकी संपादित कृतियाँ 'दलित वैचारिकी की दिशाएँ', 'प्रयाग : अतीत, वर्तमान और भविष्य' तथा 'साहित्य और सामाजिक परिवर्तन' काफ़ी उल्लेखनीय हैं।

यहाँ संकलित इस कविता में कवि हर हाल में प्रेम को बचाए रखने का संकल्प व्यक्त कर रहा है। कवि ने कविता में प्रेत, गिद्ध, चोर, जुआरी, ऋषि, बंदिशें, बारिश, आग साँप, झींगुर, कीड़े, मदीना, रोग आदि प्रतीकों के माध्यम से प्रेम पर आनेवाले संकटों का मार्मिक वर्णन किया है। अंत में कवि निपट अकेला होकर भी प्रेम को बचाये रखने की इच्छा व्यक्त करता है।

---

प्रेत आयेगा
किताब से निकाल ले जायेगा प्रेमपत्र
गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच-नोच खायेगा

चोर आयेगा तो प्रेमपत्र चुरायेगा
जुआरी प्रेमपत्र पर दाँव लगायेगा
ऋषि आयेंगे तो दान में माँगेंगे प्रेमपत्र

बारिश आयेगी तो
प्रेमपत्र ही गलायेगी
आग आयेगी तो जलायेगी प्रेमपत्र
बंदिशें प्रेमपत्र पर ही लगायी जायेंगी

साँप आयेगा तो डँसेगा प्रेमपत्र
झींगुर आयेंगे तो चाटेंगे प्रेमपत्र
कीड़े प्रेमपत्र ही काटेंगे।

प्रलय के दिनों में
सप्तर्षि, मछली और मनु
सब वेद बचायेंगे
कोई नहीं बचायेगा प्रेमपत्र

कोई रोम बचायेगा
कोई मदीना
कोई चाँदी बचायेगा, कोई सोना

मै निपट अकेला
कैसे बचाऊँगा तुम्हारा प्रेमपत्र !

### शब्दार्थ-टिप्पण

**प्रेत** भूत **जुआरी** जुआ खेलने वाला **बंदिश** पाबंदी **निपट** बिलकुल, केवल **सप्तर्षि** सात ऋषियों का समूह **झींगुर** एक बरसाती छोटा कीड़ा जो झीं-झीं की आवाज करता है **रोम** इटली की राजधानी, यह नगरी अपनी प्राचीन सभ्यता एवं रोमन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रही है।

### स्वाध्याय

**1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए :**

(1) किताब से निकालकर प्रेमपत्र को कौन ले जाएगा ?

(2) गिद्ध प्रेमपत्र का क्या करेगा ?

(3) प्रेमपत्र पर दाँव कौन लगायेगा ?

(4) प्रेमपत्र पर बारिस का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए :**

(1) प्रेम को लेकर कवि चिंतित क्यों है ?

(2) प्रलय में वेद को बचाने के संबंध में भारतीय मान्यता क्या है ?

**3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाँच-सात वाक्यों में लिखिए :**

(1) प्रेम पर बंदिशें क्यों लगाई जाएँगी ?

(2) भारत में विभिन्न धर्मों के लोग प्रेमपत्र को बचाने में क्यों असमर्थ हैं ?

**4. आशय स्पष्ट कीजिए :**

(1) कोई रोम बचायेगा,
कोई मदीना
कोई चाँदी बचायेगा,
कोई सोना

(2) सब वेद बचायेंगे
कोई नहीं बचायेगा प्रेमपत्र

**5. पर्यायवाची शब्द लिखिए :**

पहाड़, साँप, बारिश, प्रेम।

**6. विलोम शब्द लिखिए :**

प्रेम, दिन, जलाना, आस्तिक।

**विद्यार्थी-प्रवृत्ति**

- भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, उनके धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थानों की सूची बनाइए।

**शिक्षक-प्रवृत्ति**

- मनुष्य की उत्पत्ति और विकास की भारतीय मान्यता को विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट करें।

●

# 1 भाषा-विश्लेषण ( व्याकरण )

## (1) संधि

नौवीं कक्षा में हमने संधि, स्वर संधि तथा उसके भेदों का अध्ययन किया है। इस कक्षा में हम व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

**व्यंजन संधि :**

किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से होनेवाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं।

**व्यंजन संधि के नियम :**

1. यदि प्रथम शब्द के अंत में अघोष व्यंजन (वर्ग के प्रथम दो वर्ण) हो और दूसरे शब्द के आरंभ में सघोष व्यंजन (वर्ग के अंतिम तीन वर्ण) हो, तो पहले शब्द के अंत में आए अघोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का सघोष व्यंजन हो जाता है; अर्थात् 'क्' का 'ग्', 'ट्' का 'ड्', 'त्' का 'द्' और 'प्' का 'ब' हो जाता है।

   **उदाहरण :**

   दिक् + गज = दिग्गज (क् + ग = ग् + ग = ग्ग)

   दिक् + अंबर = दिगंबर (क् + अ = ग)

   सत् + गति = सद्गति (त् + ग = द् + ग)

   षट् + आनन = षडानन (ट् + आ = डा)

   सत् + आचार = सदाचार (त् + आ = दा)

2. वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद 'न्' या 'म्' वर्ण आने पर उनके स्थान पर क्रमशः उसी वर्ण का पंचमाक्षर आता है । जैसे -

   वाक् + मय = वाङ्मय     सत् + मार्ग = सन्मार्ग

   जगत् + नाथ = जगन्नाथ     उत् + नत = उन्नत

3. 'त्' या 'द्' के बाद यदि 'ज्' हो, तो त्/द् 'ज' में बदल जाता है; जैसे -

   सत् + जन = सज्जन

   उत् + ज्वल = उज्ज्वल

4. 'त्' के बाद यदि 'च' हो तो 'त्' का 'च्' हो जाता है; जैसे -

   उत् + चारण = उच्चारण

   सत् + चरित्र = सच्चरित्र

   सत् + चित् + आनंद = सच्चिदानंद

5. 'त्' या 'द्' के बाद 'श्' हो तो 'त'/'द' का 'च्' और 'श' का 'छ्' हो जाता है; जैसे -

   उत् + श्वास = उच्छ्वास

   उत् + शिष्ट = उच्छिष्ट

6. ‘त्’ के बाद ‘ल्’ हो तो ‘त्’ ध्वनि ‘ल्’ में बदल जाती है; जैसे -

तत् + लीन = तल्लीन    उत् + लास = उल्लास

उत् + लेख = उल्लेख

**विसर्ग संधि :**

पहले शब्द के अंत में आए विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने के कारण जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं।

**विसर्ग संधि के नियम :**

1. विसर्ग के पूर्व यदि ‘अ’ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन (वर्ग के अंतिम तीन वर्ण) या य, र, ल, व हो तो विसर्ग (:) के स्थान पर ‘ओ’ हो जाता है; जैसे -

तपः + वन = तपोवन    मनः + भाव = मनोभाव

मनः + रथ = मनोरथ    मनः + हर = मनोहर

तमः + गुण = तमोगुण    वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध

अधः + गति = अधोगति

**अपवाद :** मनः + कामना = मनोकामना (विसर्ग के बाद ‘क’ है जो अघोष है।)

2. विसर्ग के बाद क्-ख् या प्-फ् हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है; जैसे -

अधः + पतन = अध:पतन

प्रातः + काल = प्रात:काल

अंतः + करण = अंत:करण

अंतः + पुर = अंत:पुर

3. विसर्ग के बाद यदि ‘श’ या ‘स’ हो तो या तो विसर्ग यथावत् रहता है अथवा विसर्ग की जगह क्रमशः श्, स् हो जाता है; जैसे -

दुः + शासन = दु:शासन **या** दुश्शासन

निः + संदेह = नि:संदेह **या** निस्संदेह

निः + शंक = नि:शंक **या** निश्शंक

4. यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या सघोष व्यंजन (तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण - प्रत्येक वर्ग का) तो विसर्ग का ‘र्’ हो जाता है; जैसे -

दुः + उपयोग = दुरुपयोग    दुः + दशा = दुर्दशा

निः + उपाय = निरुपाय    अंतः + मन = अंतर्मन

निः + मल = निर्मल    निः + आकार = निराकार

निः + धन = निर्धन    अंतः + मुख = अंतर्मुख

अंतः + गोल = अंतर्गोल    दुः + जन = दुर्जन

बहिः + गोल = बहिर्गोल    पुनः + जन्म = पुनर्जन्म

5. यदि विसर्ग के बाद 'च' या 'छ्' अघोष ध्वनि हो तो विसर्ग का 'श्' हो जाता है; जैसे –

निः + चल = निश्चल हरिः + चंद्र = हरिश्चंद्र

निः + छल = निश्छल प्रायः + चित = प्रायश्चित

6. यदि विसर्ग के पहले 'इ' या 'उ' हो और बाद में क, प या फ हो, तो विसर्ग का ष् हो जाता है; जैसे –

निः + कपट = निष्कपट धनुः + टंकार = धनुष्टंकार

दुः + प्रचार = दुष्प्रचार चतुः + कोण = चतुष्कोण

निः + फल = निष्फल

7. यदि विसर्ग के बाद 'त्' अघोष ध्वनि हो तो विसर्ग का 'स्' हो जाता है; जैसे –

निः + तेज = निस्तेज

नमः + ते = नमस्ते

8. यदि 'अ' के बाद विसर्ग हो और बाद में कोई स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है; जैसे –

अतः + एव = अतएव

9. यदि विसर्ग के बाद 'र' हो तो विसर्ग का 'र्' हो कर उसका लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है; जैसे –

निः + रोग = नीरोग

निः + रव = नीरव

- विसर्ग संधि हिन्दी के लिए अप्रस्तुत है, किंतु शब्दार्थ के लिए इसका महत्त्व है, अतः इसे जानना चाहिए।

**विशेषः** स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के नियम हिन्दी तत्सम शब्दों (संस्कृत शब्दों) पर ही लागू होते हैं। हिन्दी में जब दो भिन्न शब्द एक ही शब्द के रूप में अथवा सामासिक पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं; जैसे –

राम + अभिलाषा = राम-अभिलाषा ही रहता है, रामाभिलाषा नहीं बनता।

## (2) समास

9वीं कक्षा में आपने सीखा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण की इस विधि को समास कहते हैं। हिन्दी में समास के छः मुख्य प्रकार माने गए हैं – द्वंद्व, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय तथा तत्पुरुष। इनमें से पहले तीनों की चर्चा नौवीं कक्षा में हो चुकी है। शेष तीन समासों की चर्चा यहाँ की जा रही है।

(4) **द्विगु समास :** जिन सामासिक पदों का पूर्वपद संख्यावाची शब्द हो, वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास प्रायः समूहवाचक होता है; जैसे –

त्रिभुज – तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति

चौराहा – जहाँ चार रास्ते मिलते हैं (चार राहों का समूह)

शताब्दी – शत (सौ) अब्द (वर्षों) का समूह

पंचवटी – पंच (पाँच) वटी (वृक्षों) का समूह आदि।

(5) **कर्मधारय समास :** जहाँ समस्त पद के दोनों खंडों में विशेषण-विशेष्य अथवा उपमान-उपमेय संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। यानी कर्मधारय समास का पूर्वपद विशेषण या उपमावाचक होता है; जैसे -

नीलाकाश (नीला + आकाश) = नीले रंग का आकाश

महाराजा = महान् राजा

कमलनयन = कमल रूपी नयन

चरणकमल = कमल रूपी चरण आदि।

(6) **तत्पुरुष :** जहाँ सामासिक उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्वपद गौण। इस समास की रचना में दो पदों के बीच में आने वाले कारक चिह्नों (परसर्गों) का लोप हो जाता है। (कर्ता, संबोधन के परसर्गों को छोड़कर) जैसे -

विद्यालय (विद्या + आलय) = विद्या के लिए आलय

हस्तलिखित = हस्त (हाथ से लिखित

रसोईंघर = रसोईं के लिए घर

राजकुमार = राजा का कुँवर (कुमार)

पदच्युत = पद से च्युत

पद प्राप्त = पद को प्राप्त

ध्यानमग्न = ध्यान में मग्न आदि।

**विशेष :** आगे की कक्षाओं में आपको इन समासों के उपभेदों की भी जानकारी दी जाएगी।

● हिन्दी के अपने शब्दों के मेल से बने शब्दों में शब्द निर्माण की प्रक्रिया में लोप या ह्रस्वीकरण दिखाई देता है; जैसे -

पानी + घट = पनघट

घोड़ा + दौड़ = घुड़दौड़

हाथ + कड़ी = हथकड़ी

मीठा + बोल = मिठबोल

लड़का + पन = लड़कपन

काठ + पुतली = कठपुतली

आम + चूर = अमचुर

कान + फटा = कनफटा

## (3) अलंकार

**'अलंकरोति इत अलंकार:'** अर्थात् वह वस्तु जिसके धारण करने पर सुन्दरता में वृद्धि होती हो उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना या आभूषण होता है। जिस प्रकार आभूषणों से किसी स्त्री की सुन्दरता

में वृद्धि होती है, उसी प्रकार शब्दगत और अर्थगत चमत्कार के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। जिस प्रकार हाथ, पैर, कान, नाक आदि अंगों से शरीर की रचना हुई है उसी प्रकार शब्दार्थ (शब्द और अर्थ के योग) से काव्य का शरीर बना है। जैसे शरीर के हर अंग के लिए अलग-अलग अलंकार हैं, उसी प्रकार काव्य शरीर (शब्द और अर्थ) के अलग-अलग अलंकार हैं। जब अलंकार काव्य के शब्द विशेष में स्थित होता है तब उसे 'शब्दालंकार' और जब अलंकार अर्थ में स्थित होता है तब उसे 'अर्थालंकार' कहते हैं। इसलिए अलंकार के निम्नलिखित मुख्य दो प्रकार हैं :

(1) शब्दालंकार (2) अर्थालंकार

शब्दालंकार के प्रमुख चार प्रकार हैं - (1) अनुप्रास (2) यमक अलंकार (3) श्लेष अलंकार और (4) वक्रोक्ति ।

पिछली कक्षा में हम शब्दालंकारों के विषय में जान चुके हैं। इसलिए अब हम अर्थालंकारों के विषय में जानेंगे ।

**अर्थालंकार :**

जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार पैदा हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं -

(1) **उपमा अलंकार :** उपमा का अर्थ है - तुलना। जहाँ समान गुण, धर्म प्रभाव के आधार पर उपमेय से उपमान की या प्रस्तुत से अप्रस्तुत की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार तत्त्व हैं - उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द।

**उपमेय :** जो वस्तु उपमा या तुलना के योग्य हो वह उपमेय है। कवि के लिए उपमेय का वर्णन सबसे पहले अपेक्षित होता है। इसलिए इसे प्रस्तुत भी कहा जाता है। जैसे - 'पीपर पान सरिस मन डोला।' इसमें 'मन' उपमेय है।

**उपमान :** जिस वस्तु के साथ उपमेय की तुलना की जाए, उसे उपमान कहते हैं। कवि के लिए उपमान उपमेय के बाद अपेक्षित होता है, इसीलिए उसे अप्रस्तुत कहा जाता है। उपर्युक्त उदाहरण में 'पीपर पान' उपमान है, क्योंकि मन (उपमेय) से उसकी तुलना की गई है।

**साधारण धर्म :** उपमेय और उपमान में स्थित समान गुणधर्म को 'साधारण धर्म' कहा जाता है। यहाँ डोलना (चंचलता) साधारण धर्म है।

**वाचक शब्द :** जिस विशेष शब्द से उपमेय और उपमान में स्थित समान गुण-धर्म को प्रकट किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। यहाँ सरिस (जैसा) वाचक शब्द है। विशेषः तुल्य, सम, सा, से, सी, जैसा, ज्यों ये उपमा के वाचक शब्द हैं।

जब उपमा में ये चारों तत्त्व स्थित होते हैं तब **'पूर्णोपमा' अलंकार** और जब उनमें से एक या एकाधिक कम होता है तब वह **'लुप्तोपमा' अलंकार** कहा जाता है। प्राचीन और आधुनिक सभी कवियों का यह बहुत प्रिय अलंकार है। जैसे, 'पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात।' इसमें साधारण धर्म (नश्वरता) का लोप होने से लुप्तोपमा है।

(2) **रूपक अलंकार :** रूपक का अर्थ है - आरोपित करना। जहाँ उपमेय और उपमान भिन्न हों, पर समान गुणधर्म के कारण उनके बीच किसी प्रकार का भेद न किया जाए अर्थात् जहाँ उपमेय पर उपमान को बिना किसी भेदभाव के आरोपित किया जाए वहाँ 'रूपक' अलंकार होता है।

**उदाहरण** - मैया मैं तो चन्द्र खिलौना लैहों।

(3) **उत्प्रेक्षा अलंकार :** जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु, मानहु, मानो, जनु, जानहु, जानो ऐसे, जैसे आदि इस अलंकार के वाचक शब्द हैं।

**उदाहरण** - उदित कुमुदिनीनाथ हुए प्राची में ऐसे।

सुधा कलश रत्नाकर से उठता हो जैसे ॥

यहाँ कुमुदिनीनाथ (चन्द्रमा) प्रस्तुत की अप्रस्तुत (सुधा-कलश) में उत्प्रेक्षा की गई है।

(4) **विभावना अलंकार :** जहाँ कारण के बिना ही कार्य होने का वर्णन होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है।

**उदाहरण** - निन्दक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय।

बिन पानी साबण बिना, निर्मल करे सुभाय ॥

यहाँ पानी और साबुन के बिना ही कार्य सम्पन्न हो रहा है।

(5) **असंगति अलंकार :** कारण और कार्य में संगति न होने पर असंगति अलंकार होता है।

**उदाहरण** - हृदय घाव मेरे वीर रघुवीरै।

(6) **अतिशयोक्ति :** जहाँ किसी बात को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है।

**उदाहरण** - हनूमान की पूँछ में, लगन न पाई आग।

लंका सिगरी जल गई, गए निसाचर भाग ॥

यहाँ हनुमान की पूँछ में आग लगने से पूर्व ही लंका का जल जाना बताया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है।

(7) **अन्योक्ति :** जब काव्य में किसी अप्रस्तुत (अन्य) के बहाने दूसरे को कुछ कहा जाए, जिससे चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो, वहाँ अन्योक्ति नामक अलंकार होता है; जैसे -

माली आवत देखकर, कलयिन करी पुकारि।

फूली-फूली चुन लिए, काल्हि हमारी बारि ॥

यहाँ माली, कलियों और फूल के बहाने काल, युवा पुरुषों और वृद्धों के बारे में कहा गया है।

(8) **मानवीकरण :** जब प्रकृति पर मानवीय क्रिया कलापों का आरोपण किया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है; जैसे -

सिंधु सेज पर धरा वधू अब, तनिक सकुचती बैठी-सी।

प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, मान किए-सी ऐंठी-सी।

(जयशंकर प्रसाद - कामायनी)

महा प्रलय के बाद पृथ्वी का समुद्र की सतह से ऊपर आने को सेज पर बैठी मानिनी बहू बतलाया गया है। भारतीय काव्यशास्त्र में इसका समावेश रूपक में था।

यह अंग्रेजी के अलंकार Personification का हिन्दी रूप है।

# 2 रचनात्मक लेखन

## (1) निबंधलेखन

'निबंध' शब्द का अर्थ है भलीभाँति बँधा हुआ, अर्थात् जिस गद्य रचना में भाव और विचार अच्छी तरह बँधे हों, गुँथे हों, वह निबंध है। हिन्दी के प्रसिद्ध समीक्षक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्लजी निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं। अच्छे निबंध के तीन मुख्य गुण हैं - (1) विषयानुकूलता, (2) कसावट तथा (3) प्रभावशाली भाषा। विषय का सम्यक प्रतिपादन, भाषा का प्रांजल रूप तथा लेखकीय व्यक्तित्व की छाप अच्छे निबंध की विशेषताएँ है।

निबंध के लिए विषय की कोई सीमा नहीं है। आपकी पाठ्यपुस्तक में 'द' (प्रतापनारायण मिश्र) तथा 'उत्साह' (रामचंद्र शुक्ल) निबंध संकलित हैं। विषय के दृष्टि से निबंध के अनेक प्रकार किये जा सकते हैं; जैसे - साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथा काल्पनिक निबंध आदि।

प्रस्तुतीकरण या वर्णनशैली की दृष्टि से इन निबंधों को मुख्य चार भागों में बाँट सकते हैं -

(1) **वर्णनात्मक (विवरणात्मक सहित) जैसे** - मेरी पाठशाला, ताजमहल, मेरी पहली रेलयात्रा, देखे गए क्रिकेट मैच का वर्णन, मेले या त्योहार का वर्णन आदि।

(2) **भावात्मक एवं कल्पनात्मक - जैसे** - मेरे सपनों का भारत, यदि मैं पक्षी होता, आषाढ़ का पहला दिन आदि ।

(3) **विचारात्मक तथा चिंतनात्मक** - इन निबंधों में बुद्धितत्व, तर्क, की प्रधानता रहती है। इनके विषय अमूर्त भी हो सकते हैं; जैसे - श्रम का महत्व, उत्साह, साहित्य का उद्देश्य इत्यादि।

(4) **आत्मकथानात्मक** - वैसे तो इस तरह के निबंध भी कल्पनात्मक होते हैं, किन्तु अभिव्यक्ति रीति अलग होने से इनका अलग वर्ग बनाया जाता है; जैसे - चुनाव में हारे हुए नेता की आत्मकथा, रूपए की आत्मकथा, फटे जूते की आत्मकथा इत्यादि।

**विशेष :** कुल मिलाकर ये सारे प्रकार दो वर्गों में समाहित होते हैं - (1) विषयप्रधान और (2) विषयी प्रधान।

**निबंध के अंग :**

निबंध चाहे किसी विषय पर हो, किसी प्रकार का हो रचना की दृष्टि से सामान्यतया उसके तीन अंग होते हैं :

(1) प्रस्तावना या भूमिका

(2) विषय का प्रतिपादन (विवेचन, सुव्यवस्थित संयोजन)

(3) उपसंहार।

(1) **प्रस्तावना :** प्रस्तावना आकर्षक, रोचक तथा विषयवस्तु को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए ताकि आगे पढ़ने की उत्सुकता बनी रहे। संक्षिप्तता इसका गुण है। निबंध का आरंभ निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है -

- किसी सूक्ति या उद्धरण से
- विषय की परिभाषा देकर
- किसी घटना या कहानी के संक्षिप्त उल्लेख से
- विषय का महत्त्व बताकर
- सीधे विषय पर आकर।

(2) **विषय का प्रतिपादन :** यह निबंध का मुख्य कलेवर है। इसमें तथ्यों, भावों तथा विचारों को तर्कसंगत ढंग से संयोजित किया जाना चाहिए। क्रमबद्धता तथा सुसंबद्धता इसका प्रधान गुण है। यह अनुच्छेद में विभक्त होता है। यह जरूरी है कि एक अनुच्छेद में एक ही बात या विचार रखा जाए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ

गद्य या पद्य में उद्धरण दे सकते हैं। भाषा शुद्ध, प्रांजल तथा विषयानुकूल होनी चाहिए। भाषिक शिथिलता निबंध को कमजोर बनाती है । विषय का विवेचन क्रमबद्ध, स्पष्ट होना चाहिए। विषय के अनुरूप इसका विस्तार दो-तीन से लेकर छः-सात अनुच्छेदों तक का हो सकता है।

(3) **उपसंहार :** प्रभावकता उपसंहार का प्रमुख गुण है। विषय वस्तु के विवेचन के आधार पर यहाँ निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेखक अपना विचार या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या फिर प्रतिपादित विषय का सार दे देता है। निबंध का अंत इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि पाठक पर उसका स्थायी प्रभाव पड़े। इसका विस्तार एक लघु अनुच्छेद जितना होना चाहिए।

**निबंध-लेखन, पूर्व तैयारी :**

- निबंध-लेखन से पूर्व विषय के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करना जरूरी है। इसके लिए अपने साथियों अथवा शिक्षक के साथ चर्चा करके निबंध की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए।
- रूपरेखा निर्माण के बाद विषय से संबंधित सामग्री का विभिन्न स्रोतों से संचय करना उपयोगी होता है। उद्धरणों, विषय के अनुरूप सूक्तियों, उदाहरणों का संकलन कर लेना चाहिए।
- विषय के अनुरूप सामग्री का चयन करके उसका क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए।
- एक विचार को एक ही अनुच्छेद में समाहित करना चाहिए।
- विचार को अपनी भाषा में तर्कसंगत ढंग विकसित करना चाहिए।
- वाक्य छोटे-छोटे और सुसंगठित होने चाहिए।
- भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट, शुद्ध एवं प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए।
- उद्धरणों, मुहावरों, लोकोक्तियों और उदाहरणों का उपयोग सुसंगत होना चाहिए।
- विषयवस्तु के संदर्भ में अपने विचार तथा अनुभव व्यक्त होने चाहिए।

**कुछ निबंधों की रूपरेखा :**

(1) **गणतंत्र दिवस :**

26 जनवरी का ऐतिहासिक संदर्भ, महत्त्व; संविधान का निर्माण और गणतंत्र का आरंभ; गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम; दिल्ली में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का विशेष आकर्षण; गणतंत्र की रक्षा, उसे सुदृढ़ बनाने के प्रति हमारा कर्तव्य, उपसंहार।

(2) **ताजमहल :**

ऐतिहासिक इमारतों का महत्व; ताजमहल के निर्माण का इतिहास, ताजमहल की स्थापत्यकला, ताजमहल की विशिष्टता, अनुपम रूप-सौंदर्य, ताजमहल और पर्यटक, चाँदनी रात में ताज, उपसंहार।

(3) **प्राकृतिक आपदा :**

प्रकृति के दो रूप-निर्माण, विध्वंस; वर्तमान आपदा के कारण; आपदा के बीभत्स और करुण दृश्य; राहत एवं बचाव कार्य, सामाजिक, सरकारी संस्थाओं का बचाव में योगदान; पीड़ितों का उपचार, सहायता कार्य एवं पुनर्वास; उपसंहार ।

(4) **यदि मैं पक्षी होता :**

उड़ने की स्वाभाविक इच्छा; परियों की कल्पनाएँ; मनुष्य द्वारा विमान-निर्माण की कल्पनाएँ : उड़कर इच्छित जगह पर पहुँचने का स्वप्न; प्रकृति के विभिन्न दृश्यों का बिना किसी व्यवधान के अवलोकन करने का आनंद उठाना; पक्षी जैसे पंख के कारण अलौकिकता की अनुभूति।

(5) **मेरा प्रिय खेल फुटबाल :**

खेल का महत्व; फुटबाल - एक सस्ता, सर्वप्रिय आधुनिक खेल; साधनसामग्री, मैदान की लंबाई-चौड़ाई, टीम में खिलाड़ियों की संख्या; फुटबाल के खिलाड़ियों का मुख्य ध्येय गोल करना; गोलकीपर का महत्व; फुटबाल में फाउल के नियम; फुटबाल खेलने से लाभ - सहयोग, संरक्षण तथा आक्रमण की भावना का विकास, खेलते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ, उपसंहार।

## (1) सूचना लेखन

व्यक्ति, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान अपने किसी निश्चय, निर्णय, निर्देश आदि से संबंधित जानकारी को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रसारित-प्रचारित करते हैं। अखबारों में छपी कुछ सूचनाएँ इस प्रकार हैं -

(1) **नाम बदलना :**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं घेमरभाई बशराजभाई अढ़िया निवास A/9 कथन एवन्यू, नया चाँदखेड़ा, अहमदाबाद – 382424 अपना नाम बदलकर गिरीशभाई वशराजभाई अढ़िया कर रहा हूँ।

(2) **खोने-पाने संबंधी सूचना :**

सबको विदित हो कि कल दोपहर पाँच बजे के आसपास काले रंग का एक बैग, जिसमें जरूरी कागज थे वह मोटेरा और शाहीबाग के बीच कहीं गिर गया है। पाने वाले से निवेदन है कि वह इसकी सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन या सीधे मोबाइल नं. 9827465917 पर दें। उचित इनाम दिया जाएगा।

(3) **लापता व्यक्ति की तलाश :**

एक किशोर उम्र 13 वर्ष, रंग गेहुआँ, ऊँचाई 5 फीट मध्यम शरीर दिनांक 25 मई 2016 को गंज बाजार, डीसा उत्तर-गुजरात से लापता है। वह गुजराती तथा राजस्थानी भाषा बोलता है। इसके बारे में सूचना देने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। कृपया संपर्क करें -

मो. 9427500212 या 9805076055.

(4) **प्रमाणपत्र खोने की सूचना :**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर का मेरा हाइस्कूल परीक्षा का सन् 2012 का प्रमाणपत्र वास्तव में खो गया है।

हस्तीमल चंदरमल टांक
निवासी - भरतपुर (राज.)

इस तरह की सूचनाएँ प्राय: वर्गीकृत विज्ञापनों के रूप में छपती हैं। व्यक्तिगत सूचनाओं के अलावा गैरसरकारी और सरकारी विभागों की ओर से विभिन्न प्रकार की विज्ञप्ति, अधिसूचना, सार्वजनिक निविदा (टेंडर) आदि विज्ञापन के स्वरूप में प्रकाशित होते रहते हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी अपने से संबंधित सूचना को विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करवाते हैं।

सामान्य रूप से व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सूचना की भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट तथा एकार्थी होनी चाहिए। सूचना में आलंकारिक भाषा या कहावतों, मुहावरों का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता। सूचना का आकार हो सके, उतना संक्षिप्त होना चाहिए।

सूचना प्रसारण के लिए वर्तमान समय में प्रिंट (मुद्रित माध्यम के अलावा इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों का भी उपयोग किया जाता है। आकस्मिक आपदाओं के समय सूचनाएँ इन माध्यमों द्वारा सामान्य जनता तक तत्काल पहुँचायी जा सकती हैं। जिससे जन-धन की हानि को कम किया जा सकता है। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के नीचे की पट्टी में इस तरह की सूचनाएँ प्रसारित होती रहती हैं।

●

## (2) अनौपचारिक पत्र लेखन

नौवीं कक्षा में आपने औपचारिक पत्रों का अध्ययन किया, जिनमें सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में चर्चा की गई थी। इस वर्ष 10वीं कक्षा में अनौपचारिक पत्र लेखन की चर्चा की जाएगी।

अनौपचारिक पत्रों में पत्र लिखनेवाले तथा पत्र पाने वाले के बीच निकट का संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक, मित्रता तथा निकट के सगे-संबंधियों का हो सकता है। इन पत्रों को 'व्यक्तिगत पत्र' भी कहते हैं।

इन पत्रों की विषयवस्तु निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निश्चित होता है। ऐसे पत्रों की भाषाशैली प्राय: आत्मीय और अनौपचारिक होती है।

अनौपचारिक पत्र के अंगों के बारे में प्राथमिक कक्षाओं मे जानकारी दी जा चुकी है। आइए, यहाँ संक्षेप में उसका पुनरावर्तन कर लें।

अनौपचारिक पत्र के निम्नलिखित मुख्य अंग हैं -

**(1) भेजनेवाले का पता** - पत्र में सबसे ऊपर एक ओर (प्राय: दाईं ओर) प्रेषक (भेजनेवाले) का पता लिखते हैं। पूरा पता स्पष्ट (मकान नं, गली, मुहल्ला, शहर, पिन कोड सहित) लिखा जाना चाहिए ताकि पत्र पहुँचने में कठिनाई न हो।

**(2) पत्र लिखने की तारीख** - प्रेषक के पते के नीचे दिनांक, महीना तथा सन् लिखा जाता है।

**(3) संबोधन और अभिवादन** - इसे पत्र के ऊपरी भाग में बाईं ओर वाले की आयु और संबंध के अनुरूप संबोधन लिखा जाता है; जैसे -

पूज्य पिताजी, श्रद्धेय दादाजी, पूजनीया माताजी, आदरणीय भाईजी, (बड़े भाई को) प्रिय बंधु / भाई (छोटे भाई को) अथवा प्रिय मित्र आदि। अभिवादन के लिए पत्र पानेवाले व्यक्ति के संबंध, मर्यादा के अनुरूप शब्द; जैसे - सादर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद आदि लिखा जाता है।

**(4) पत्र की विषय सामग्री** - यह पत्र का मुख्य भाग है। अनौपचारिक पत्रों कुशल-क्षेम, पत्रप्राप्ति की सूचना तथा वांछित समाचारों से संबंधित बातें अलग-अलग अनुच्छेद में लिखी जाती हैं।

**(5) पत्र का अंत** - पत्र के अंत में पत्र लेखक अपने संबंध के अनुरूप शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर करता है। पत्र के अंत में लिखे जाने वाले ऐसे शब्द इस प्रकार हैं -

आपका आज्ञाकारी (पुत्र, भाई, छोटा भाई, शिष्य, छात्र आदि), स्त्रीलिंग में आपकी आज्ञाकारिणी (पुत्री, बहन, शिष्या, छात्रा आदि), प्रिय (मित्र, भाई, बहन, सखी आदि), तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी, भवदीप, शुभेच्छु (बड़ों द्वारा आदि।

**(6) पत्र पाने वाले का पता** - पत्र समाप्त करने के बाद पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे के ऊपर पाने वाले का नाम तथा पूरा स्पष्ट पता लिखा जाता है ताकि डाक द्वारा पत्र पहुँचने में कठिनाई न हो। पिन कोड, नाम तथा पता भी लिखा जाता है, ताकि पत्र पाने वाले को पत्र देखते ही पता चल जाय कि पत्र किसका है, कहाँ से है ।

**लिफाफे पर पता** -

**टिकट**

सेवा में

श्रीमती अरुणाबहन झा<br>
312, माडल टाउन,<br>
महात्मा गांधी मार्ग,<br>
मिर्जापुर - 231001

प्रेषक -

राधाकिशन झा<br>
C/20, ठठेरी बाजार,<br>
वाराणसी - 221001

## अनौपचारिक पत्र का नमूना

कमरा नं. 8, महेन्द्रवी लॉज,
लंका, वाराणसी - 221002
दिनांक : 10 अक्टूबर, 2016

पूज्य पिताजी,

सादर चरणस्पर्श।

आपका पत्र मिला। घर के समाचार मिले। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई साहब दीपावली की छुट्टियों में घर आ रहे हैं।

मेरा विद्यालय भी दीपावली के समय 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चार दिनों के लिए बंद रहेगा। मैं 27 अक्टूबर को शाम तक घर अवश्य पहुँच जाऊँगा।

मैं पूर्णरूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न हूँ। छमाही परीक्षा का परिणाम मिल गया है। अपनी कक्षा में मुझे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आपके भेजे हुए रुपए मेरे खाते में जमा हो गए हैं।

आशा है, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सानंद होंगे। माँ तथा दादीजी को सादर प्रणाम, छोटी दीदी गुड़िया को बहुत-बहुत प्यार।

आपका आज्ञाकारी पुत्र
रमण सोनी

सेवा में
श्री रामकुमार सोनी
ग्राम, पोस्ट - अहरौरा,
जिला - मिर्जापुर
पिन - 233001

●

# 3 प्रयोजनमूलक हिन्दी

## (1) सारलेखन

किसी गद्यांश के मुख्य भावों या विचारों को छोड़े बिना उसे संक्षेप में लिखने की क्रिया सारलेखन कहलाती है। सारलेखन अपने में एक तकनीक है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है :

(1) सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को दो-तीन बार ध्यान से पढ़िए ताकि उसका अर्थबोधन हो सके।

(2) गद्यांश के मुख्य भावों या विचारों को रेखांकित कीजिए। इस बात का ध्यान रहे कि कोई आवश्यक बात न छूट जाए । साथ ही किसी विचार या भाव का पुनरावर्तन भी न हो।

(3) मुख्य भावों या विचारों को अपनी भाषा में लिखिए। वर्णनात्मक वाक्यों को सूत्र रूप में अथवा सामासिक पदों के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए।

(4) प्रत्यक्ष कथन को परोक्ष कथन के रूप में लिखिए। यह कथन अन्य पुरुष में होना चाहिए।

(5) सारलेखन के बाद उसे दो बार अवश्य पढ़ लीजिए ताकि उसमें कोई दोष हो तो उसे दूर कर सकें।

(6) सार, मूल गद्यांश का लगभग एक तृतीयांश (तिहाई) होना चाहिए। वह स्पष्ट, क्रमबद्ध तथा पूर्ण होना चाहिए।

**क्या न करें :**

(1) सारलेखन की भाषा अलंकृत न हो और न तो उसमें मुहावरों तथा कहावतों का प्रयोग हो।

(2) सारलेखन की भाषा अपनी हो लेकिन अपनी ओर से कुछ भी जोड़ना नहीं चाहिए।

(3) पुनरुक्ति न करें। कथन को कर्मवाच्य में न बदलें।

**विशेष :** सारलेखन को अंग्रेजी में 'प्रेसी राइटिंग' कहा जाता है। कुछ लोग इसे संक्षेपण भी कहते हैं। सारलेखन और संक्षेपण में शब्दों का प्रयोग प्राय: एक ही अर्थ में किया जाता है, किन्तु सारलेखन में जहाँ मूल पाठ को संक्षिप्त करके एक तिहाई रूप में सीमित किया जाता है, वहाँ संक्षेपण में इस तरह का कोई बंधन नहीं होता। मूल के अनावश्यक विस्तार को छोड़ते हुए सहज रूप से उसे छोटा करना होता है। सारलेखन की तरह – 'सारांश' में सभी मुख्य तथ्यों को प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होता, इसमें केवल मूल तथ्य को ही संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। आकार-विस्तार की दृष्टि से सारांश सारलेखन की अपेक्षा कम शब्दों में होता है।

**सार का शीर्षक :**

उपयुक्त शीर्षक का चयन करना एक कला है, जो अभ्यास से आती है। गद्यांश के केन्द्रीय विचार बिंदु अथवा कविता का केन्द्रीय भाव ही शीर्षक का आधार हो सकता है। शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए। काव्यांश के शीर्षक के लिए दुहराई जाने वाली काव्यपंक्ति भी ली जा सकती है।

**गद्यांश या पद्यांश पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर :**

गद्यांश या पद्यांश पर जो प्रश्न पूछे गए हों, उनके उत्तर गद्यांश या पद्यांश के आधार पर ही देने चाहिए। हालांकि यदि किसी प्रश्न में परीक्षक ने अपने विचार पूछे हों, तो लिखने चाहिए। वाक्य छोटे-छोटे, सरल तथा अपनी भाषा में होने चाहिए। गद्यांश के वाक्य को ज्यों का त्यों न लिखकर अपनी भाषा में लिखना चाहिए। व्यर्थ में उत्तर बढ़ाना नहीं चाहिए।

**उदाहरण :**

जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम सब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। गायें सींग मारती हैं और ब्यायी हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी-कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, लेकिन गधे को क्रोध करते न कभी देखा, न सुना। जितना चाहो, उसे मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख-दुःख, लाभ-हानि किसी दशा में भी बदलते नहीं देखा। ऋषियों-मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँचे हुए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का उतना अनादर कहीं नहीं देखा।

**(प्रेमचंद - दो बैलों की कथा)**

**शीर्षक :** 'गधा : सद्गुणों की खान' या 'गधा' रखा जा सकता है।

**सार :**

'गधा' शब्द का प्रयोग आदमी बेवकूफ के लिए करता है जब कि वास्तव में तो गधा सीधा, सहिष्णु पशु है। वह हर हाल में एक-सा रहता है, सुख-दुःख, लाभ-हानि से उदासीन। वास्तव में ये सभी गुण तो ऋषि-मुनि में होते हैं। मनुष्य गधे के सद्गुणों का अनादर करता है।

## (2) संचार माध्यम

यहाँ 'संचार' शब्द अंग्रेजी 'कम्युनिकेशन' के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। 'कम्युनिकेशन' का अर्थ है - संप्रेषण।

इसी से निर्मित दूसरे शब्द 'मास कम्युनिकेशन' (mass communication) के लिए हिन्दी में 'जनसंचार' शब्द का प्रयोग हो रहा है।

संचार शब्द के साथ जुड़ा 'माध्यम' अंग्रेजी 'मीडिया' के समांतर शब्दप्रयोग है। संचार माध्यम द्वारा प्रेषक और श्रोता के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। इसके अंतर्गत सूचना का संग्रह और प्रसार, सूचना का विश्लेषण, समाजिक मूल्य तथा ज्ञान का संचरण एवं मनोरंजन आते हैं।

वैसे तो 'संचार' मानवजाति के विकास जितना ही पुराना है। यह मनुष्य की वैयक्तिक एवं सामाजिक जरूरत है । मोटे तौर पर संचार का अभिप्राय अपने भाव, विचार या संदेश को आदान-प्रदान या संप्रेषित करना है। सभ्यता के विकास के सात संचार के क्षेत्र में भी नई-नई प्रविधियाँ आई हैं, जिन्हें हम आज जनसंचार माध्यम (mass media) कहते हैं।

संचार माध्यमों को सुविधा के लिए हम दो वर्गों में बाँट सकते हैं - (1) **परंपरागत संचार माध्यम :** जैसे - लोकगीत, लोकनाट्य, लोककला, और लोकनृत्य आदि।

(2) **आधुनिक संचार माध्यम :** इस युग में वैज्ञानिक खोजों के परिणाम स्वरूप सूचना संचार के क्षेत्र में एक क्रांति आई है। मशीनों, कंप्यूटर के उपयोग से इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। संक्षेप में, हम आधुनिक संचार माध्यमों को दो भागों में बाँट सकते हैं -

(क) **मुद्रित माध्यम** - समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ, पोस्टर, पर्चियाँ इत्यादि।

(ख) **श्रव्य-दृश्य माध्यम** - रेडियो (आकाशवाणी), टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलीविजन (दूरदर्शन), ई-मेल, फैक्स, वी.सी.डी. इत्यादि।

इनमें से हम यहाँ पर समाचार पत्र, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे।

**समाचार पत्र :**

यह मुद्रित माध्यम (Print media) के अंतर्गत आनेवाला तथा सूचना को शीघ्रता से दूर-दराज के स्थानों तक पहुँचाने वाला एक सशक्त माध्यम है। देश-विदेश में फैली समाचार एजेंसियों तथा अपने संवाददाताओं से प्राप्त समाचारों को संपादित करके प्रकाशित किया जाता है। इसके वितरण के लिए स्थानीय हॉकर्स के साथ ट्रेन, बस या हवाई मार्ग द्वारा भी दूसरे स्थानों एवं शहरों में समाचार पत्र भेजे जाते है। इस तरह **समाचार का एकत्रीकरण एवं संपादन, मुद्रण** तथा **वितरण** समाचार प्रबंधन के तीन प्रमुख स्तंभ है। विज्ञापन समाचार पत्रों की आय का प्रमुख साधन है।

प्रकाशन की अवधि के आधार पर दैनिक, साप्ताहिक पाक्षिक प्रकार के समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों के जैसी ही व्यवस्था पत्र-पत्रिकाओं की भी होती है। पत्रिकाएँ साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या अनियतकालीन हो सकती हैं। पत्र-पत्रिकाओं में समाचारों के अतिरिक्त विभिन्न समाचारों का विश्लेषण तथा समसामयिक विषयों अथवा जीवनोपयोगी सामग्री भी छापी जाती है। भारत में अलग-अलग भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं। फैलाव के आधार पर उन्हें स्थानीय, प्रादेशिक या राष्ट्रीय समाचार पत्र का दर्जा दिया जाता है।

**आकाशवाणी (रेडियो) :**

समाचारों के प्रसारण का यह इलेक्ट्रानिक श्रव्य माध्यम है। आरंभ में भारत सरकार द्वारा स्थापित आकाशवाणी इस तरह का अकेला माध्यम था। अब तो बड़े-बड़े शहरों में एफ.एम. रेडियों शुरू हो चुके हैं। इनके द्वारा समाचार तथा मनोरंजन कार्यक्रम, गीत-संगीत के कार्यक्रम आदि प्रसारित किए जाते हैं। विभिन्न रेडियो के प्रसारण की फ्रीक्वेंसी अलग-अलग होती है। प्राकृतिक आपदा तथा युद्ध के समय 'हेम रेडियो' अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

रेडियो के द्वारा समाचार, सूचना या संदेश को ध्वनि स्वरूप में प्रसारित करने के कारण अशिक्षित तथा अनपढ़ लोग भी सुनकर इसका लाभ उठा सकते हैं। रेडियो से लोकोपयोगी अनेक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। यह श्रोताओं को सूचना एवं शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ मनोरंजन भी करता है। ट्रांजिस्टर तथा इलेक्ट्रानिक्स में दूरसंचार की खोजों से रेडियो की उपलब्धता बढ़ी है।

**दूरदर्शन :**

यह शब्द 'टेलीविज़न' का हिन्दी पर्याय है। व्यवहार में यह टेलीविज़न के सरकारी चैनल डी.डी. के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। दूरदर्शन एक दृश्य-श्रव्य माध्यम है। कंप्यूटर के आ जाने, मल्टीमिडिया के बढ़ते उपयोग से टेलीविज़न का विकास अत्यंत तेजी से हुआ है।

भारत में दूरदर्शन का प्रचलन 1965 में हुआ। गुजरात में इसका सर्वप्रथम प्रसारण आणंद जिले के पीज दूरदर्शन केन्द्र से हुआ। आज तो यह घर-घर तक पहुँच गया है। वर्तमान में उपग्रहों के माध्यम से दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित किया जाने लगा है। इसकी कार्यपद्धति भी काफी सीमा तक रेडियो की प्रणाली से मिलती-जुलती है।

दूरदर्शन मनोरंजन के साथ सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन का प्रमुख अंग है।

आजकल भारत में अनेक देशी तथा विदेशी चैनलों के कार्यक्रम टेलीविज़न से प्रसारित होते हैं। ये चलचित्र, वृत्तचित्र या लघुचित्र, धारावाहिक रूपक तथा समाचार से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों; धार्मिक तथा व्यापार-वाणिज्य आदि की जानकारी लोगों तक पहुँचाते हैं। इंटरनेट के मेल से इसका महत्त्व और भी बढ़ गया है।

## (3) हिन्दी की विविध भूमिकाएँ

वास्तव में आज जिसे हम हिन्दी कहते हैं, वह कोई एक भाषा नहीं बल्कि 'भाषा समूह' है। ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी जैसी बोलियाँ राजस्थानी जैसी उपभाषा कभी स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयोग की जाती थीं। हिन्दी का वर्तमान रूप उसकी एक बोली - 'खड़ी बोली' का मानकीकृत रूप है, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक व्यवहार, पढ़ाई-लिखाई, समाचार पत्र आदि में करते हैं।

जिन्हें हम हिन्दीभाषी क्षेत्र कहते हैं उसमें पाँच उपभाषाएँ - पूर्वी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी तथा बिहारी हैं। इनमें कुल 18 प्रमुख बोलियाँ हैं, जो हिन्दी क्षेत्र कह जाने वाले इन राज्यों में रहने वालों की मातृभाषा हैं । बोली भाषा का मौखिक स्वरूप है। इस अर्थ में हिन्दी किसी की मातृभाषा नहीं है; लोगों की मातृभाषाएँ उनकी बोलियाँ ही हैं। केवल पढ़ा-लिखा, शहरी वर्ग ही इनका उपयोग अपने दैनिक व्यवहार में मातृभाषा के रूप में करता है।

हिन्दी भाषा का 'मानक' रूप देश की 'राजभाषा' है, साथ ही वह हमारे दैनिक औपचारिक व्यवहार में प्रयुक्त होती है। मानक हिन्दी का मूलाधार खड़ी बोली इस समय साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। राजभाषा के साथ-साथ हिन्दी हमारे जनसंचार की भाषा भी है। हिन्दी में हम अपना कार्यालयी व्यवहार, प्रशासनिक कार्य करते हैं । स्वाधीनता संग्राम में हिन्दी संपर्क भाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। आज हमारे लिए वह माध्यम भाषा भी है। संक्षेप में हिन्दी के इन विविध रूपों को निम्नलिखित प्रकार से बाँट सकते हैं -

(1) बोलचाल की हिन्दी

(2) मानक भाषा

(3) व्यावहारिक तथा प्रयोजनमूलक हिन्दी (राजभाषा)

(4) साहित्यिक हिन्दी

(5) संपर्क भाषा आदि।

**राष्ट्रभाषा हिन्दी :**

साहित्य की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग तो 11वीं सदी में ही आरंभ हो चुका था। 12वीं सदी में वह भारत की संपर्क भाषा बन रही थी। अंग्रेजों के शासन में स्वतंत्रता की भावना पनपने लगी उस समय एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस की जाने लगे जो भारत राष्ट्र की भाषा बन सके। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की गतिशील चेतना का प्रतीक होती है। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में आंदोलनों की माध्यम भाषा के रूप में उसे प्रतिष्ठा मिली। महात्मा गाँधी ने हिन्दी के प्रश्न को स्वराज्य से भी बढ़कर मानते हुए 1918 ई. में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के मंच पर हिन्दी में भाषण दिया और कुछ लोगों के विरोध करने पर जो उत्तर उन्होंने दिया वह संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के महत्त्व को बतलाता है। 1928 में 5 जुलाई के यंग इंडिया के अंक में गाँधीजी लिखते हैं - ''यदि मैं तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा दिया जाना बंद कर देता। सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएँ अपनाने के लिए मजबूर कर देता।''

इसके पूर्व लोकमान्य तिलक ने कहा था – ''अभी कितनी ही भाषाएँ भारत में प्रचलित हैं। उनमें हिन्दी ही सर्वत्र प्रचलित है। इसी हिन्दी को भारत की एकमात्र भाषा स्वीकार कर लिया जाय।'' नेताजी सुभाषचंद्र बोस का मत था – ''यदि हम लोगों ने मन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नही, जब भारत स्वाधीन होगा और हिन्दी उसकी राष्ट्रभाषा होगी।''

राष्ट्रीय आंदोलनों की माध्यम भाषा, देश की संपर्क भाषा होने के बाद स्वाधीनता के पश्चात् हिन्दी को 'राजभाषा' घोषित किया गया, राष्ट्रभाषा नहीं। हमारे संविधान के मुताबिक हिन्दी भाषी प्रदेशों की मुख्य राजभाषा हिन्दी है। अहिन्दी भाषी प्रदेशों में वहाँ की अपनी प्रादेशिक भाषाएँ राजभाषा बनीं; जैसे – गुजरात में गुजराती, तामिलनाडु में तमिल, आंध्र, तेलंगाना में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, असम में असमिया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, ओडिशा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी तथा जम्मू–कश्मीर में कश्मीरी आदि। वास्तव में राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा होता है। इस दृष्टि से तथा भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सामासिक पहचान को अभिव्यक्ति प्रदान करनेवाली भाषा के रूप में अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिन्दी का एक विशेष स्थान बन जाता है।

**राजभाषा हिन्दी :**

किसी देश के कामकाज यानी शासन के लिए स्वीकृत भाषा 'राजभाषा' होती है। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को भारत संघ की 'राजभाषा' के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार 'संघ की राजभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी' होगी तथा पंद्रह वर्षों तक सहभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा । भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हो गया किन्तु हिन्दी राजभाषा के रूप में तत्काल लागू नहीं की गई। राजभाषा के रूप में अंग्रेजी 15 वर्षो तक चलती रही। इस कालावधि में राष्ट्रपति के आदेश, तत्पश्चात संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा को ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जैसा कि ऐसी विधि में उल्लिखित है। (अनुच्छेद 343(3))। अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति इस अवधि को शिथिल कर देती है ।

राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रगति राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा बाधित हुआ। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 345 में वर्णित अवधि के होते हुए भी अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल तक प्रयोग किए जाने के लिए उपबंध किया गया। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा राजभाषा की उन्नति को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ जोड़कर देखा गया है। केन्द्रीय सेवाओं में हिन्दी या अंग्रेजी किसी एक भाषा के ज्ञान को पर्याप्त मानने तथा अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में चयन करने की छूट पहली बार दी गई। इससे भारतीय भाषाओं के साथ हिन्दी के विकास का कुछ अवसर अवश्य मिला।

राजभाषा से संबंधित कुछ नियम 1976 में बनाए गए, जिसमें सम्पूर्ण देश को तीन भागों में बाँटा गया। (क) में हिन्दी भाषी राज्य – बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली। (ख) में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ एवं अंडमान हैं। शेष (ग) के अंतर्गत आते हैं। (क) क्षेत्र के लिए भर्ती परीक्षाओं आदि में हिन्दी को अनिवार्य कर दिया गया, किन्तु कुछ सरकारी दस्तावेजों; जैसे – सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, रिपोर्ट आदि को द्विभाषिक रूप में जारी करना आवश्यक है। (ख) तथा (ग) क्षेत्र के राज्यों में हिन्दी के उपयोग के विस्तार के लिए विभिन्न केन्द्रीय योजनाएँ चलाई गईं, किन्तु उनका वांछित परिणाम नहीं मिला है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान इस दिशा में कार्यरत हैं।

संचार माध्यमों के तीव्र विकास ने हिन्दी को बल दिया है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा हिन्दी भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित साफ्टवेयर उपलब्ध कराए हैं -

(1) लीला, (2) लिंगोटेक, (3) ऑन लाइन कोर्सेस, (4) अक्षर एनीमेशन, (5) रैपिडली लर्न हिंदी, (6) विज्युअल हिन्दी, (7) भारतवाणी, (8) हिन्दी टीचर, (9) आओ, हिन्दी पढ़ें तथा (10) हिन्दी गुरु।

'लीला' ध्वनि-उच्चारण मानकों के लिए, लिंगोटेक - सही उच्चारण के लिए है। हिन्दी की अनेक वेब साइट भी उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

(1) w.w.w.gadnet.com - इस पर हिन्दी भाषा का इतिहास, कविताएँ, गीत आदि उपलब्ध हैं।

(2) w.w.w.hindibhash.com - इस पर हिन्दी भाषा संबंधी जानकारी उपलब्ध है।

(3) w.w.w.rosettastone.com - इस में हिन्दी सहित विश्व की सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा है।

**संपर्क भाषा हिन्दी :**

हिन्दी के आरंभिक विकास में नाथों, सिद्धों तथा संतों का बहुत योगदान रहा। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिन्दी को पूरे भारत में पहुँचाया। अहिन्दी क्षेत्रों में कण्हपा (कर्नाटक), नानक (पंजाब), नामदेव और तुकाराम (महाराष्ट्र), नरसिंह मेहता तथा प्राणनाथ (गुजरात) इत्यादि ने भी 'साहित्यिक' हिन्दी के विकास में विशेष योगदान दिया। इनकी रचनाओं में हिन्दी की विभिन्न बोलियों के अलावा फारसी, पंजाबी, गुजराती तथा मराठी भाषा का भी प्रभाव है। इसी समय हिन्दी तीर्थस्थानों, वाणिज्य व्यवहार के क्षेत्र में व्यवहृत हुई और एक 'संपर्क भाषा' के रूप में उसका विकास हुआ।

संपर्क भाषा उसे कहा जाता है जो किसी राष्ट्र या क्षेत्र में परस्पर वैचारिक आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में कार्य करती हो। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र में संपर्क भाषा ही राष्ट्रभाषा बनती है किन्तु यदि किसी देश में राष्ट्रभाषा न भी हो तो भी कोई न कोई भाषा संपर्क भाषा अवश्य रहती है। जिस भाषा में वहाँ के नागरिक बात कर या समझ सकते हैं । संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का विकास किसी प्रायोजित प्रयास का परिणाम नहीं है। आधुनिक काल के आरंभ में फारसी या अंग्रेजी के राजभाषा बनाये रखने के बावजूद हिन्दी ही संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती रही।

स्वतंत्रता के पश्चात् राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया गया, किन्तु उसके मार्ग में अनेक बाधाएँ भी आईं । पूरे भारत में समाचार माध्यमों, दूरदर्शन, फिल्मों, तीर्थयात्रा, धार्मिक संगठनों, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम तक जिस भाषा का व्यवहार हो रहा है, वह हिन्दी है। संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के महत्व को समझ कर ही विदेशी चैनल भी अपने सर्वाधिक कार्यक्रम हिन्दी में तैयार कर रहे हैं। हिन्दी विरोधी भी अपनी सार्वदेशिक छवि के लिए हिन्दी पर आश्रित हैं। हिन्दी के साथ भारत की जनता है, अत: वह देश की संपर्क भाषा है।

वर्तमान काल में संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। विश्व साहित्य, विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं को अखिल भारतीय स्तर तक पहुँचाने के लिए हिन्दी एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरी है। मुद्रण के क्षेत्र में हुई प्रगति, लोकतंत्र की ओर सामूहिक रुझान आदि ने संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने का काम किया है। ज्ञान-विज्ञान के विस्फोट के इस युग में भारत की अधिकांश आबादी तक पहुँचने के लिए मात्र हिन्दी ही सशक्त है, अत: संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी की स्थिति निर्विवाद है।

## (4) डायरी-लेखन

डायरी को 'दैनन्दिनी' कहते हैं। डायरी में व्यक्ति की प्रतिदिन की दिनचर्या लिखी जाती है। इसमें डायरी लिखने वाला अपने व्यक्तिगत जीवन में घटित घटना, उसका स्थान और संबंधित व्यक्तियों के विषय में अपने विचार भी लिखता है। विभिन्न प्रकार की घटनाओं के कारण जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की स्मृति के लिए अपनी डायरी लिख लेना ही डायरी-लेखन है।

यदि मन में कोई विचार आया तो उसे भी डायरी में लिख लिया जाता है।

डायरी के आरंभिक पृष्ठ पर अपना पूरा नाम, घर तथा कार्यालय का पता, दूरभाष, लाइसेंस (वाहन चालक प्रमाणपत्र) नंबर, बैंक खाता नंबर, पान (PAN) तथा आधार कार्ड नंबर, रक्त ग्रुप, वजन-ऊँचाई, पहचान चिह्न, मोबाइल नंबर, जीवन बीमा पॉलिसी नंबर, आकस्मिक स्थिति में किससे संपर्क किया जाए उसका नाम, फोन नंबर आदि का विवरण लिखना उपयोगी रहता है। ए टी एम कार्ड का PIN (पिन) नम्बर कभी भी डायरी में न लिखें।

दैनिक डायरी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए -

(1) विवरण संक्षेप में लिखना चाहिए।

(2) नई जानकारी या सूचना आदि को ही लिखना चाहिए।

(3) डायरी के पन्ने के आरंभ में दाईं ओर या बीचोंबीच तारीख लिखनी चाहिए। छपी डायरी में तारीख, दिन का उल्लेख रहता ही है।

(4) महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ की बातचीत का सार, निष्कर्ष भी लिखना चाहिए।

(5) किसी व्यक्ति या घटना के प्रति अपनी टिप्पणी या प्रतिक्रिया भी डायरी में लिखी जा सकती है।

(6) डायरी सरल, स्पष्ट भाषा में लिखनी चाहिए। फिर भी कुछ बातें सांकेतिक या कोड रूप में लिखी जाती हैं।

**विशेष :** आपकी पाठ्यपुस्तक में 'डायरी का एक पन्ना' शीर्षक रचना सम्मिलित है, उसे ध्यान से पढ़िए।

●

# पूरक वाचन

## 1 ऐ अजनबी

**राही मासूम रज़ा**

(जन्म : सन् 1927 ई.; निधन : 1992 ई.)

इनका जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िले ग़ाज़ीपुर के गाँव गंगौली में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग़ाज़ीपुर में हुई । अलीगढ़ में उर्दू से एम.ए. और पीएच.डी. हुए। ये कुछ दिनों तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उर्दू के प्राध्यापक रहे। अलीगढ़ में ही उन्होंने अपने भीतर साम्यवादी दृष्टिकोण का विकास किया। इनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण काफ़ी चर्चित रहा है। 1968 से वे मुंबई में रहने लगे। आजीविका के लिए वे फ़िल्मों के लिए लेखन करते रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे 'आधा गाँव', 'हिम्मत जौनपुरी' और 'टोपी शुक्ला' जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों के लिए ज़्यादा जाने गये, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण कवि भी थे। इनका 'अजनबी शह्र, अजनबी रास्ते' एक महत्वपूर्ण काव्य-संग्रह है, जिसका सुल्तान अहमद ने 'शीशे के मकाँवाले' शार्षक से उर्दू से हिंदी में लिप्यंतरण किया है। इन्होंने कई फ़िल्मों के संवाद लिखे। 'महाभारत' सीरियल के इनके संवाद सबसे ज़्यादा चर्चित हुए।

यह अंश 'ऐ अजनबी' कविता से लिया गया है। इसमें हिन्दोस्तान की उस पवित्र धरती का वर्णन किया गया है जिसमें गरीबी अवश्य है फिर भी उसमें कुतुबमीनार, ताजमहल, बनारस के मंदिर ही नहीं कालिदास, टैगोर, मीर, गालिब इत्यादि की कलाएँ भी देखी जा सकती हैं।

---

ये है हिंदोस्ताँ की मुक़द्दस ज़मीं
जैसे मेले में तन्हा कोई नाज़नीं
सिन्दः हा-ए-गुलामी से ज़ख़्मी जबीं
एक कुह्नः गिरीबाँ फटी आस्तीं

एक घर, जिसमें हंगामः आबाद है
इक नशेमन, जो सदियों से बर्बाद है

ये कुतुब, जैसे इक तान ऊपर उठे
ताज, जिस तर्ह रक़्क़ासः दम साध ले
ये बनारस के मन्दिर, जवाँ वलवले
जैसे मे'मार के ख़्वाब पूरे हुए

ज़िन्दगी को उभरना सिखाना गया
पत्थरों को अजन्ता बनाया गया

कालिदास और टैगोर का ये चमन
मीर-ओ-ग़ालिब और इक़बाल का ये वतन
एशिया के हसीं जिस्म का पैरहन
रश्क-ए-सदमयकदा था ये दारुल मिहन

किसने इस शम्मा से लौ लगाई नहीं
कितने अश्कों से वाक़िफ़ है ये आस्तीं

**शब्दार्थ-टिप्पण**

**मुकद्दस** पवित्र **जबीं** माथा **कुहनः (कुहना)** पुराना **गिरीबाँ** गिरेबान (कालर) **आस्तीं** (आस्तीन) **नाज़नी** सुंदरी **हंगामः (हंगामा)** शोरगुल, हलचल **नशेमन** घोंसला **तर्ह** तरह **रक़्क़ासः** नर्तकी, रक़्क़ासा **वलवले** आवेग **मे'मार** निर्माता, इमारत बनानेवाले **चमन** बाग़ **पैरहन** वस्त्र, पहनावा **रश्क** स्पर्धा **सद** सैकड़ों **मयकदा** शराबखाना **दारुलमिहन** दुःख का स्थान, संसार शम्अ (शमा) चिराग **अश्क** आँसू वाक़िफ़ जानकार **सिज़्दा हा-ए-ग़ुलामी** ग़ुलामी के सिजदे **कुतुब** कुतुबमीनार

●

| 2 | # काबुलीवाला |
|---|---|

**रवीन्द्रनाथ टैगोर**

(जन्म : सन् 1861 ई.; निधन : 1941 ई.)

इनका जन्म कोलकाता में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा सेंट ज़ेवियर्स स्कूल में हुई। कुछ समय तक लंदन में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिये वापस आ गये। इनके काव्य-संग्रह 'गीतांजलि' पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। भारत का राष्ट्र-गान 'जन गण मन' इन्हीं की रचना है। कवि होने के साथ-साथ ये कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। इतना ही नहीं, चित्रकार और संगीतकार भी थे।

इनके उपन्यास 'गोरा', 'घरे बाहिरे', 'चोखेर बालि' और 'योगायोग' भी बहुत लोकप्रिय हैं।

'काबुलीवाला' रवीन्द्रनाथ टैगोर की श्रेष्ठतम कहानियों में से एक है, जिस पर एक हिंदी फ़िल्म का निर्माण भी हो चुका है।

इसमें ऐसे अबाध प्रेम का चित्रण है, जो किसी धर्म या देश के बंधन को स्वीकार नहीं करता। इसका चरित्र रहमत 'मिनी' से भी वैसे ही स्नेह करता है, जैसा अपनी बच्ची से करता है, जिसके हाथ का काग़ज़ पर बना निशान हमेशा अपने साथ लिये रहता है। मिनी के पिता को इस हक़ीक़त का जब पता चलता है, तो वह मिनी के विवाह के ख़र्च में कटौती कर रहमत को उसके अपने घर जाने का किराया देते हैं। इस कहानी की नाटकीय घटनाएँ भी हमारा ध्यान खींचती हैं।

---

[ 1 ]

मेरी पांच वर्ष की छोटी लड़की मिनी से घड़ी-भर भी बात बिना किए नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ एक ही साल लगाया होगा। उसके बाद से, जितनी देर तक वह जागती रहती है, उस समय का एक क्षण भी वह मौन में नष्ट नहीं करती। उसकी माँ अक्सर डाँटकर उसका मुँह बंद कर देती हैं, पर मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का चुप रहना मुझे ऐसा अस्वाभाविक लगता है कि मुझसे वह ज्यादा देर तक सहा नहीं जाता। यही वजह है कि मेरे साथ उसकी बातचीत कुछ ज्यादा उत्साह के साथ होती है।

सवेरे मैंने अपने उपन्यास के सत्रहवें परिच्छेद में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकार कहना शुरू कर दिया—''बापूजी, रामदयाल दरबान, 'काक' को 'कौआ' कहता था, वो कुछ जानता नहीं न बापूजी ?''

दुनिया की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया—''देखो बापूजी, भोला कहता था, आकाश में हाथी सूँड से पानी फेंकता हैं, इसी से बरसा होती है ! अच्छा बापूजी, भोला झूठ-मूठ को बकता बहुत है न ! खाली बकबक किया करता है, रात-दिन करता है।'' मैंने कहा—''मिनी तू जा, भोला के साथ खेल जाकर। मुझे अभी काम है, अच्छा !''

तब उसने मेरी टेबिल के बगल में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों और हाथों को हिला-हिलाकर बड़ी जल्दी-जल्दी मुँह चलाकर 'अटकन-बटकन दही चटाके' खेल शुरू कर दिया।

मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी 'अटकन-बटकन' खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई, और बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, ''काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला !''

मैले-कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफ़ा बाँधे, कन्धे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में दो-चार अंगूर की पिटारियाँ लिए एक लम्बा-सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी कन्या के मन में कैसा भावोदय हुआ, यह बताना कठिन है। उसने ज़ोरों से उसे पुकारना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, अभी झोले कन्धें में डाले एक आफत आ खड़ी होगी और मेरा सत्रहवाँ परिच्छेद आज पूरा होने से रह जाएगा।

लेकिन मिनी के चिल्लाने पर ज्योंही काबुली ने हँसते हुए उसकी तरफ मुँह फेरा और मेरे मकान की तरफ आने लगा, त्योंही वह जान लेकर भीतर की ओर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहां गायब हो गई। उसके मन में एक अन्धविश्वास-सा बैठ गया था कि उस झोली के अन्दर तलाश करने पर उस जैसी और भी दो-चार जीती-जागती लड़कियाँ निकल सकती हैं।

काबुली ने आकर मुस्कराते हुए मुझे सलाम किया और खड़ा हो गया। यद्यपि लेखन की व्यस्तता में उसका आना मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा न होगा, यह सोच उससे कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद इससे इधर-उधर की बातें करने लगा। अब्दुर्रहमान, रूस, अंग्रेज, सीमान्त रक्षा इत्यादि विषयों में गप-शप होने लगी।

अन्त में, उठकर जाते समय उसने अपनी खिचड़ी भाषा में पूछा — ''बाबू शाब, तुम्हारा लड़की कहाँ गई ?''

मैंने मिनी के मन से फजूल का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली के मुँह और झोली की तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर देना चाहा पर उसने कुछ भी न लिया; और दूने सन्देह के साथ मेरे घुटनों से चिपक गई। पहला परिचय इस तरह हुआ।

[ 2 ]

कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा तो मेरी दुहिता दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से खूब बातें कर रही है; और काबुली उसके पैरों के पास बैठा-बैठा मुस्कराता हुआ सब ध्यान से सुन रहा है और बीच-बीच में प्रसंगानुसार अपना मतामत भी खिचड़ी भाषा में व्यक्त करता जाता है। मिनी को अपने पाँच साल के जीवन की जानकारी में 'बापूजी' के सिवा ऐसा धीरज वाला श्रोता शायद ही कभी मिला होगा। देखा तो उसका छोटा सा आंचल बादाम-किशमिश मे भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा— ''उसे यह सब क्यों दे दिया ? अब मत देना।'' कहकर जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल ली।

घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है।

मिनी की माँ एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिये डपटकर मिनी से पूछ रही है—''तूने यह अठन्नी पायी कहाँ से ?''

मिनी ने कहा—''काबुलीवाले ने दी है।''

''काबुलीवाले से तैने अठन्नी ली कैसे, बता ?''

मिनी ने रोने की तैयारी करके कहा—''मैंने माँगी नहीं, उसने अपने-आप दी है।''

मैंने आकर मिनी की उस आसन्न विपत्ति से रक्षा की, और उसे बाहर ले आया।

मालूम हुआ कि इस बीच में काबुली रोज आया है और पिस्ता-बादाम की रिश्वत दे-देकर मिनी के छोटे-से हृदय पर उसने काफी अधिकार जमा लिया है।

देखा कि इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी-बंधाई बातें और हँसी प्रचलित है। जैसे, रहमत को देखते ही मेरी लड़की हँसती हुई पूछेगी, ''काबुलीवाला ! ओ काबुलीवाला ! तुम्हारी झोली के भीतर क्या है ?''

रहमत एक आवश्यक चन्द्रबिन्दु जोड़कर हँसता हुआ उत्तर देता—''हाथी !'' उसके परिहास का मर्म अत्यन्त सूक्ष्म हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इससे दोनों को जरा विशेष कौतुक मालूम होता, और शरद ऋतु के प्रभात में एक सयाने और एक बच्चे की सहज हँसी देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता।

उनमें और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता—''लल्ली, तुम ससुराल कभी नहीं जाना, अच्छा !''

हमारे यहाँ लड़कियाँ जन्म से ही 'ससुराल' शब्द से परिचित रहती हैं, किन्तु हम लोग जरा कुछ नये जमाने के होने के कारण जरा-सी बच्ची को ससुराल के सम्बन्ध में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे, इसलिए रहमत का अनुरोध वह साफ-साफ नहीं समझ पाती थी, किन्तु फिर भी किसी बात का जवाब बिना दिए चुप रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध था । उल्टे वह रहमत से ही पूछती, ''तुम ससुराल जाओगे ?''

रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना प्रकाण्ड मोटा घूँसा तानकर कहता—''हम ससुर को मारेगा।''

सुनकर मिनी 'ससुर' नामक किसी अपरिचित जीव की दुरवस्था की कल्पना करके खूब हँसती।

[ 3 ]

मिनी की माँ स्वभाव की बड़ी वहमी है। रास्ते में कोई शोर-गुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि दुनिया-भर के सारे मतवाले शराबी हमारे ही मकान की तरफ दौड़े आ रहे हैं। उसकी समझ में यह दुनिया इस छोर से लेकर उस छोर तक, चोरों, डकैतों, मतवाले शराबियों, साँपों, बाघों, मलेरिया, तिलचिट्टों और गोरों से भरी पड़ी है। इतने दिन से (बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए) इस दुनिया में रहते हुए भी उसके मन की यह विभीषिका दूर नहीं हुई।

रहमत काबुली की तरफ से वह पूरी तरह निश्चित नहीं थी। उस पर विशेष दृष्टि रखने के लिए मुझसे वह बार-बार अनुरोध करती रहती। जब मैंने उसका सन्देह हँसी में उड़ा देना चाहा, तो वह मुझसे एक साथ कई सवाल कर बैठती—''क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया ? क्या काबुल में गुलाम नहीं बेचे जाते ? एक लम्बे-तगड़े मोटे काबुली के लिए एक छोटे-से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल असम्भव है ?''—इत्यादि इत्यादि।

मुझे मानना पड़ता है कि यह बात बिल्कुल असम्भव हो, सो बात नहीं; पर विश्वास योग्य नहीं। विश्वास करने की शक्ति सबमें समान नहीं होती, इसलिए मेरी स्त्री के मन में डर रह ही गया है; लेकिन सिर्फ इसलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने मकान में आने से मना न कर सका।

हर साल माघ महीने के लगभग रहमत देश चला जाता है। इस समय वह अपने ग्राहकों से रुपया वसूल करने के काम में बड़ा उद्विग्न रहता है। उसे घर-घर घूमना पड़ता है, मगर फिर भी वह मिनी से एक बार मिल ही जाता है। देखने में तो ठीक ऐसा लगता है कि दोनों में मानो कोई षड्यंत्र चल रहा है। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता, उस दिन देखूँ तो शाम को हाजिर है। अँधेरे में घर के कोने में उस ढीले-ढाले जामा-पायजामा पहने झोला-झोली वाले लम्बे-तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में सहसा एक आशंका-सी पैदा हो जाती है।

परन्तु, जब देखता हूँ कि मिनी ''काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला !'' पुकारती हुई हँसती-हँसती दौड़ी आती है और दो जुदा-जुदा उमर के असमान मित्रों में वही पुराना सरल परिहास चलने लगता है, तब मेरा संपूर्ण हृदय प्रसन्न हो उठता है।

एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पहले आज दो तीन रोज से खूब जोरों से पड़ रहा है। जहाँ देखो वहाँ जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे जाड़े पाले में, खिड़की में से सवेरे की धूप टेबिल के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी तो उसकी गरमी मुझे बड़ी अच्छी मालूम देने लगी । करीब आठ बजे होंगे। इसी समय सड़क पर एक बड़ा भारी हल्ला-सा सुनाई दिया।

देखूँ तो अपने रहमत को दो सिपाही बाँधे लिये जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत-से कुतूहल लड़कों का झुण्ड चला आ रहा है। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा ! मैंने दरवाजे से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया, पूछा—''क्या बात है ?''

कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुँह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक रामपुरी चद्दर खरीदी थी। उसके कुछ रुपये उसकी तरफ बाकी थे, जिन्हें वह देने से नट गया। बस, इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने निकालकर छुरा घोंप दिया।

रहमत उस झूठे, बेईमान आदमी के लिए तरह-तरह की अश्राव्य गालियाँ सुना रहा था। इतने में ''काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला !'' पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई।

रहमत का चेहरा क्षण-भर में कौतुक-हास्य प्रफुल्ल हो उठा ! उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसीलिए झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आने के साथ ही उससे पूछा, ''तुम ससुराल जाओगे ?''

रहमत ने हँसकर कहा—''हाँ, वहीं तो जा रहा हूँ।''

रहमत ताड़ गया कि उसका यह उत्तर मिनी के चेहरे पर हँसी न ला सका, और तब उसने हाथ दिखाकर कहा—''ससुर को मारता, पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं।''

छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सज़ा हो गई।

[ 4 ]

काबुली का ख्याल धीरे-धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग जब घर में बैठकर हमेशा के अभ्यास के अनुसार नित्य का काम-धन्धा करते हुए आराम से दिन बिता रहे थे, तब एक स्वाधीन पर्वतचारी पुरुष जेल की दीवारों के अन्दर कैसे साल पर साल बिता रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी उदित नहीं हुई।

और चंचल-हृदय मिनी का आचरण तो और भी लज्जाजनक था, यह बात उसके बाप को माननी ही पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सईस के साथ मित्रता जोड़ी। फिर क्रमशः जैसे-जैसे उसकी उमर बढ़ने लगी, वैसे-वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियाँ जुटने लगीं। और तो क्या, अब वह अपने बापूजी के लिखने के कमरे में भी नहीं दिखाई देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ सम्बन्ध ही टूट गया।

कितने ही साल बीत गए। सालों बाद आज फिर एक शरद-ऋतु आई है। मिनी का सगाई पक्की हो गई है । पूजा की छुट्टियों में ही उसका ब्याह हो जाएगा। कैलासवासिनी के साथ-साथ अबकी बार हमारे घर की आनन्दमयी मिनी भी माँ-बाप के घर में अँधेरा करके सास-ससुर के घर चली जाएगी।

प्रभात का सूर्य बड़ी सुन्दरता से उदय हुआ। वर्षा के बाद शरद-ऋतु की यह नई धुली हुई धूप मानो सुहागे में गले निर्मल सोने की तरह रंग दे रही है। कलकत्ता की गलियों के भीतर परस्पर सटे हुए पुराने ईंटझर गन्दे मकानों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक तरह का अनुपम लावण्य फैला दिया है।

हमारे घर पर आज मुँह अँधेरे से ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह मेरे कलेजे की पसलियों में से रो-रोकर बज रही हो। उसकी करुणा भैरवी रागिनी मानो मेरी आसन्न-विच्छेद व्यथा को शरद्-ऋतु की धूप के साथ सम्पूर्ण विश्व-जगत् में व्याप्त कर देती है। मेरी मिनी आज ब्याह है।

सवेरे से बड़ा भारी झमेला है। हर वक्त लोगों का आना-जाना जारी है। आंगन में बाँस बाँधकर मण्डप छाया जा रहा है। हर एक कमरे में और बरामदे में झाड़ लटकाए जा रहे हैं और उनकी टन-टन की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। 'चल रे', 'जल्दी कर', 'इधर आ' की तो कोई शुमार ही नहीं।

मैं अपने लिखने-पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया।

पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। उसके पास न तो झोली थी, न वैसे लम्बे-लम्बे बाल थे, और न चेहरे पर पहले जैसा तेज ही था। अन्त में उसकी मुस्कराहट देखकर पहचान सका कि वह रहमत है।

मैंने पूछा—''क्यों रहमत ! कब आए ?''

उसने कहा—''कल शाम को जेल से छूटा हूँ।''

सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों मे खट-से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा, उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़-सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में यह आदमी यहाँ से चला जाए तो अच्छा हो।

मैंने उससे कहा—''आज हमारे घर में एक जरूरी काम है सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना।''

मेरी बात सुनकर वह उसी समय जाने को तैयार हो गया। पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर-उधर करके बोला—''बच्ची को जरा देख लेता...''

शायद उसे विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसी ही बच्ची बनी है। उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की तरह 'काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला !' चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के उस पुराने कौतुक-जन्य हास्यालाप में किसी तरह की रुकावट न होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके एक पेटी अँगूर और कागज के ठोंगे में थोड़ी-सी किशमिश और बादाम, शायद अपने देश के किसी आदमी से, माँग-मूँगकर लाया था। उसकी वह पहले की अपनी झोली उसके पास नहीं थी।

मैंने कहा—''आज घर में बहुत काम है। आज किसी से मुलाकात न हो सकेगी।''

मेरा जवाब सुनकर वह कुछ उदास-सा हो गया। खामोशी के साथ उसने एक बार मेरे मुँह की ओर स्थिर दृष्टि से देखा; फिर ''सलाम बाबू साहब'' कहकर दरवाजे के बाहर निकल गया।

मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना-सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलालूँ; इतने में देखा तो वह खुद ही आ रहा है।

पास आकर बोला—''ये अँगूर और किशमिश-बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा।''

मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे पर उसने मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगा—''आपकी बहुत मेहरबानी है, बाबू साहब ! हमेशा याद रहेगी; पैसा रहने दीजिए।'' जरा ठहरकर फिर बोला—''बाबू साब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है। मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी-सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता।''

कहते हुए उसने अपने ढीले-ढाले कुरते के अन्दर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला-कुचैला कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी टेबिल पर रख दिया।

देखा कि कागज पर एक नन्हें-से हाथ की छोटी-सी छाप है। फोटोग्राफ नहीं, तैलचित्र नहीं, हाथ में थोड़ी-सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता के गली-कूँचों में मेवा बेचने आता है और तब यह कालिख-चित्र, मानो उसकी बच्ची के हाथ का सुकोमल स्पर्श, उसके बिछुड़े हुए विशाल वक्ष:स्थल में सुधा उड़ेलता रहता है।

देखकर मेरी आँखें भर आईं, और फिर इस बात को मैं बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक काबुली मेवावाला है और मैं एक उच्च वंश का हूँ। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है, वही मैं हूँ। वह भी बाप है, मैं भी बाप हूँ। उसकी पर्वतवासिनी छोटी-सी पार्वती के हाथ की निशानी ने मेरी ही मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर भीतर बहुत-कुछ आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया । ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर-गहने पहने हुए बेचारी वधू-वेशिनी मिनी मारे शर्म के सिकुड़ी हुई-सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई।

उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सकपका गया; पहले जैसी बातचीत करते उससे न बना। बाद में हँसता हुआ बोला—''लल्ली, सास के घर जा रही है क्या ?''

मिनी अब सास के मायने समझने लगी है; लिहाजा अब उससे पहले की तरह जवाब देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे शर्म से उसका मुँह लाल सुर्ख हो उठा। उसने मुँह फेर लिया। मुझे उस दिन की बात याद आ गई जबकि काबुली के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मने में एक व्यथा-सी जाग उठी।

मिनी के चले जाने पर एक गहरी उसांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर नई पहचान करनी पड़ेगी, शायद उसे अब वह ठीक पहले की-सी वैसी-की वैसी न पाएगा। इन आठ बरसों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने ?

सवेरे के वक्त शरद् की स्निग्ध-सूर्य-किरणों में शहनाई बजने लगी; और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के एक मरु-पर्वत का दृश्य देखने लगा।

मैंने कुछ रुपये निकालकर उसके हाथ में दिए; और कहा—''रहमत ! तुम आज अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन-सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी।''

रहमत को रुपये देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव-समारोह के दो-एक अंग छाँटकर निकाल देने पड़े । जैसी सोची थी वैसी रोशनी नहीं कर सका, अंग्रेजी बाजे भी नहीं आए, घर में औरतें बड़ी नाराजगी दिखाने लगीं, सब-कुछ हुआ, फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्व मंगल-प्रकाश से हमारा वह शुभ उत्सव उज्ज्वल हो उठा।

## शब्दार्थ

**घड़ी-भर** थोड़ी देर, क्षणभर **आफत** मुसीबत, संकट **खिचड़ी भाषा** मिश्रित भाषा **उपद्रव** हंगामा **तैने** तूने **परिहास** हास्य, मजाक **स्वभाव** आदत **वहम** शंका **षडयंत्र** जालसाजी **उद्विग्न** दुखी, बेचैन **विभीषिका** भयंकरता **अश्राव्य** जिसे सुना न जा सके, **लावण्य** सौन्दर्य **सुधा** अमृत **प्रकाश** उजाला **आकाश** नभ, **दुहिता** पुत्री **अबाध** अपार

●

# 3 मेरे हिमालय के पासबानो

**गोपालदास 'नीरज'**

(जन्म : सन् 1925 ई.)

हिन्दी के लोकप्रिय गीतकार गोपालदास 'नीरज' का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के पास पुरावली गाँव में हुआ था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण आपको अथक जीवन-संघर्ष करना पड़ा। अध्ययन के दौरान ही इन्हें नौकरी करनी पड़ी। इसके साथ ही अध्ययन जारी रखा और इन्होंने हिन्दी से एम.ए. की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। तत्पश्चात मेरठ और अलीगढ़ के कॉलेजों तथा मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया । साथ ही मुंबई के फिल्मी संसार में भी गीतकार के रूप में कार्य किया। ये विद्यार्थीकाल से ही कविता लिखने लगे थे। ये मुख्यत: गीतकार हैं।

हिन्दी गीतकारों में जितनी प्रसिद्धि हरिवंशराय बच्चन ने प्राप्त की उनके बाद 'नीरज' ही ऐसे दूसरे हिन्दी कवि हैं, जिन्होंने गीतों के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त की है। इनकी कविता पर नेहरू और अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। ये मानवतावादी कवि हैं। ये मूलत: प्रेम, करुणा और वेदना के गायक हैं। इनके गीतों में कबीर के निर्गुनिया स्वर की गूँज सुनाई देती है। कवि-सम्मेलनों में इन्हें बहुत ख्याति मिली है। 'आशावरी', 'दर्द दिया है', 'प्राणगीत', 'नीरज की पाती', 'संघर्ष', 'विभावरी', 'बादर बरस गयो', 'दो गीत', 'लहर पुकारे' और 'गीत भी अगीत भी' इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। राष्ट्र के विभिन्न अंचलों से कई पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित इस श्रेष्ठ कवि को सन् 1991 में पद्मश्री और सन् 2007 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है।

प्रस्तुत गीत में कवि ने देश और समाज के नेताओं को, पथ-प्रदर्शकों को आह्वान किया है कि हम सब मिलकर गरीबी और उदासी के साम्राज्य को नष्ट करें, उसे दूर करें। मानवता और भाईचारे की मिसाल फिर क़ायम करें और द्वेष तथा नफ़रत की दीवारें मिटा दें।

---

मेरे हिमालय के पासबानो ! मेरे गुलिस्तां के बाग़बानो !  
उठो कि सदियों की नींद तजकर तुम्हें वतन फिर पुकारता है !

लिखो बहारों के नाम ख़त वह  
कि फूल बन जाएँ ख़ार सारे,  
वे रोशनी की लगाओ क़लमें,  
ज़मीं पै उगने लगें सितारे,  
बदल दो पिछले हिसाब ऐसे, उलट दो ग़म के नक़ाब ऐसे,  
कि जैसे सोई कली का घूँघट सुबह को भँवरा उघारता है !  
मेरे हिमालय के पासबानो...

ग़रीबी जो बनके रोज़ ईंधन  
उदास चूल्हों में जल रही है,  
वह जो पसीने की बूँद गिरकर  
ज़मीं का नक्शा बदल रही है

तुम उसके माथे मुकुट सजा दो, मुकुट सजाकर दुल्हन बना दो
जो आँसुओं को उबारता है वह ज़िन्दगी को सँवारता है !
मेरे हिमालय के पासबानो...

है ज़ोरो-जुल्मत का दौर ऐसा
मना है फूलों को मुस्कराना,
इधर है मज़हब का जेलखाना
उधर है तोपों का कारखाना
मिटा दो फ़िरकापरस्ती जग से, ढहा दो नफरत की हर हवेली
कि एक शोला धधक के सारे मकां की सूरत बिगाड़ता है।
मेरे हिमालय के पासबानो...

बहे न आदम का खून फिर से
न भूख दुनिया की उम्र खाए
करीब मन्दिर के आये मस्जिद,
न फिर कोई घर को बाँट पाये,
नहीं यह सोने का वक्त भाई ! नहीं झगड़ने की यह घड़ी है
वह देखो केसर की क्यारियों को गँवार पतझर उज़ाड़ता है।
मेरे हिमालय के पासबानो...

**शब्दार्थ**

**पासबानो** रखवालो, रक्षा करने वालो **गुलिस्ताँ** बगीचा, उद्यान **बागबान** माली **नकाब** पर्दा, घूँघट **जोरो-जुल्मत** अत्याचार **फ़िरकापरस्ती** जाति-सम्प्रदाय का भेद **खा़र** कंटक, कांटा।

●

# 4 राजर्षि का जीवन-दर्शन

**माखनलाल चतुर्वेदी**

(जन्म : सन् 1889 ई.; निधन : 1968 ई.)

'चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूँथा जाऊँ' जैसी पंक्तियों से समृद्ध उनकी 'पुष्प की अभिलाषा' जैसी राष्ट्रीय कविता से बहुतेरे लोग परिचित हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में हुआ था। ये 'प्रभा', 'कर्मवीर' और 'प्रताप' जैसी राष्ट्रीय आंदोलन की पत्र-पत्रिकाओं के संपादक रहे। इनकी 'हिमतरंगिणी' के लिए 1954 में साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें 1963 में 'पद्मभूषण' से अलंकृत किया गया। 'एक भारतीय आत्मा' इनका उपनाम था ।

'हिमकिरीटिनी', 'वेणु लो गूँजे धरा' और 'बीजुरी काजल आँज रही' आदि काव्य-संग्रह और 'साहित्य के देवता' और अमीर इरादे : ग़रीब इरादे' आदि उनकी प्रमुख गद्य कृतियाँ हैं।

'राजर्षि का जीवन-दर्शन' शीर्षक से माखनलाल चतुर्वेदी ने राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन का संस्मरण लिखा है। इसमें उन्होंने उनके राष्ट्रीय चरित्र का गुणगान किया है। वे हिंदी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता को उससे अधिक वरीयता देते थे। टंडन जी हिंदी के साथ उर्दू कविता के बड़े हिमायती थे। माखनलाल चतुर्वेदी का यह भी मत है कि 'लोग यह सुनकर अचंभा करेंगे कि महात्मा गाँधी मतभेद के समय भी टंडन जी को बहुत मानते थे।'

---

श्रद्धेय टण्डनजी जीवन के व्यवहार के महल में आदर्शों की वह खिड़की है जिसमें से हम युग-युगों के सन्तों के आचरण को झाँककर देख सकते हैं। साथ ही, वे देश का वह सत्य है जो उच्च जीवन भी है और उच्च जीवन का तत्त्व-चिन्तन भी। जो अन्त:करण की महान् विजय भी है, मानव-चरित्र का उच्चतर कानून भी और रीति-नीति की ईमानदारी भी।

लगभग पैंतीस वर्ष पहले की बात है, एक बार मैं लाहौर के लाजपतराय भवन में श्रद्धेय लाला लजपतरायजी से बातें कर रहा था। उन दिनों टण्डनजी लालाजी द्वारा संस्थापित राजनीतिक तिलक विद्यालय (तिलक स्कूल ऑव पॉलिटिक्स) के या तो अध्यक्ष चुने गये थे या चुने जाने को ही थे। लालाजी का कथन था कि टण्डनजी बहुत जिद्दी हैं और वे राजनीतिक तिलक विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में की जाने वाली अपनी सेवाओं के लिए विशेष कुछ न लेकर वही वेतन लेना चाहते हैं जो अन्य सामान्य सदस्यों को मिलता है। उन दिनों तो इस विषय पर श्रद्धेय टण्डनजी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, किन्तु सन् 1943 में, जब मैं अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष हुआ और वे गोरखपुर जेल से छूटकर आये, तब मैंने उनसे लालाजी की वह वर्षों पुरानी शिकायत दोहरायी। टण्डनजी साश्रुनयन हो उठे। बोले, ''माखनलालजी, यह कैसे सम्भव था कि राजनीतिक तिलक विद्यालय का सभापति अन्यथा वरते। लालाजी महान् थे। उनके भारत और अमरीका में उठाये गये भारतीय स्वतन्त्रता के कष्टों के लिए मेरा सिर झुक जाता है। कहाँ मैं और कहाँ वे। किन्तु उन्होंने मुझे राजनीतिक तिलक विद्यालय का अध्यक्ष बनवाया और यह कैसे सम्भव हो सकता था कि मैं रुपये-पैसे को महत्त्व दूँ।''

एक बार नाभा-नरेश अपने प्रभु अंगरेजों से असन्तुष्ट हुए और उन्होंने श्रीयुत् पुरुषोत्तमदासजी टण्डन को अपने यहाँ का दीवान बनाया। कहते हैं, एक बार टण्डनजी ने प्रयाग आने के लिए उनसे छुट्टी माँगी। त्रिवेणी का तट और प्रयाग की भूमि उन्हें बहुत प्रिय हैं। स्वर्गीय नाभा-नरेश ने इनकार तो नहीं किया, किन्तु टण्डनजी की छुट्टी की माँग पर बोले कुछ नहीं। टण्डनजी ने तत्काल प्रयाग पहुँचकर अपना त्यागपत्र नाभा-नरेश को भिजवा दिया।

इस प्रसंग को पं. बनारसीदासजी चतुर्वेदी से प्राप्त संवाद के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। कहते हैं, देश के किसी महामान्य धनिक सज्जन ने हिन्दी-जगत् के एक व्यक्ति को अपने एक सुप्रसिद्ध दैनिक में नियुक्त करने की बात कही। उन्होंने अपनी सब सुख-सुविधाएँ भी लिख दीं जो वे उन्हें देना उचित समझते थे। पण्डित बनारसीदासजी ने उक्त 'धनिक' सज्जन को लिख दिया कि मछली पकड़ोगे तो खुद खाओगे और मगर पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो वह आपको खा जायेगा।

टण्डनजी अत्यन्त नम्र हैं, किन्तु राष्ट्रीय तथा भारतीय भाषाओं के गौरव की रक्षा करने में वे कभी न झुकने वाले व्यक्तियों में से हैं। जब वे भाषण देने खड़े होते हैं तो अपने छोटे-छोटे उदाहरणों में विषय को इस तरह गूँथ देते हैं कि लोकजीवन उनका अनन्य सेवक हुए बिना नहीं रह सकता। अपने सिद्धान्तों के वे इतने पक्के हैं कि स्वराज्य मिलने के उपरान्त एक बार हिन्दी-सम्बन्धी प्रस्ताव पर मत देना पड़ा तो उन्होंने कांग्रेसी नीति के प्रतिकूल (प्रस्ताव को हिन्दी के हित में न मानने के कारण) उसके विरोध में संसद में अपना मत दिया और साथ ही कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिया ।

मैंने तो सदा यह माना है कि टण्डनजी के द्वारा जो कुछ होकर आया वह इस देश की राष्ट्रीयता का उच्चतर चरित्र था। इसीलिए महामना मालवीयजी ने एक बार काशीधाम में (जब मैं खण्डवा के एक विद्यार्थी को हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश कराने के लिए गया था) प्रसंगवश कहा था कि 'पुरुषोत्तम वही होता है, जो उसका अन्त:करण उसे आज्ञा देता है। भारत की जातीयता बहुत बलवान् है कि उसके पास पुरुषोत्तमदास टण्डन जैसा व्यक्ति मौजूद है। ज्ञान जब काला पड़ने लगता है और उद्योग जब शिथिल होने लगता है, तब टण्डनजी की तरफ देखकर बल मिलता है।'

लोग अक्सर यह कहते सुने जाते हैं कि श्रद्धेय टण्डनजी केवल हिन्दी के बहुत बड़े भक्त हैं, किन्तु टण्डनजी ने एक बार मुझसे कहा था और इस आशय के उन्होंने जहाँ-तहाँ भाषण भी दिये थे कि यदि हिन्दी भारतीय स्वतन्त्रता के आड़े आयेगी तो मैं स्वयं उसका गला घोंट दूँगा। वे हिन्दी को देश की आजादी के पहले, आजादी के प्रापत करने का साधन मानते रहे हैं और मिलने के बाद आजादी को बचाये रखने का। बम्बई में भाई कन्हैयालालजी माणिकलालजी मुंशी के यहाँ टण्डनजी और मैं एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। जब मैं मराठी, गुजराती और हिन्दी का गुणगान कर रहा था और तीनों के साम्य की बात कह रहा था तब टण्डनजी ने कहा था, ''मैंने सुना है कि तमिल, तेलुगु और मलयालम में बहुत अच्छा साहित्य है। तमिल तो माखनलालजी, आप ही के देश में नहीं बोली जाती, लंका में एक बहुत बड़ा भाग तमिल बोलता है और सिंगापुर और मलाया का एक बहुत बड़ा भाग तमिल बोलता है। क्या बिना गुणों के इतनी जगह कोई भाषा बोली जा सकती है।''उस समय मैं सोचता रहा कि इस व्यक्ति को समस्त भारतवर्ष का कितना खयाल रहता है !

लोग यह सुनकर अचम्भा करेंगे कि महात्मा गांधी मतभेद के समय भी टण्डनजी को बहुत मानते थे। उन्होंने एक बार कहा भी था कि हिन्दी यदि इस देश की कीर्ति है तो इसीलिए कि पुरुषोत्तमदास टण्डन जैसे महान् व्यक्ति उसके संचालक हैं।

श्रद्धेय टण्डनजी उर्दू कविता के बड़े हिमायती हैं। वे स्वयं उर्दू शेर बड़े चाव से पढ़ते हैं और जब वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए मुसलमान मित्रों को अपना भाई बतलाया था । इसीलिए उनकी हिन्दी की रीति-नीति मुसलमान भाइयों की समझ में तो आ सकती थी, किसी अंगरेज की समझ में आना कठिन था। यों हिन्दी बोलने वालों पर यह उत्तरदायित्व है कि वे सारे जगत् का स्वागत करेंगे। इस विषय में रूस से सबक सीखना चाहिए। पिछले महायुद्ध में रूस समस्त संसार के कम्युनिस्टों और कम्युनिस्ट देशों का समर्थन करता रहा किन्तु उसने रूस की स्वतन्त्रता, दृढ़ता और आर्थिक व्यवस्था को खतरे में नहीं पड़ने

दिया। इसीलिए उसके यहाँ के आविष्कार विश्व में चमत्कार दिखला रहे हैं और उसके यहाँ के धन से कितने ही लोगों को सहायता मिल रही है ।

हिन्दी के उन्नयन के क्षेत्र में प्रयाग पिछले चालीस–पचास वर्षों से ही आगे आया। उसके पहले काशी, आगरा, बाँकीपुर, यही स्थान हिन्दी के गढ़ थे। टण्डनजी और अनेक मित्रों ने अपने त्याग और तपस्या से प्रयाग को हिन्दी का गढ़ बनाया। यदि हम सन्तवर तुलसीदास की तरह हिन्दी का विस्तार चाहें तो हमें सन्तवर विनोबा जैसे उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो हिन्दी में साँस लेते हैं और अपना चिन्तन इसी भाषा में विश्व को प्रदान कर देते हैं। इसी तरह हमें टण्डनजी के अस्तित्व और प्रयत्न को समझना चाहिए। हिन्दीवादी कहकर जिन लोगों में टण्डनजी का मजाक उड़ाया जाता है, वह पीढ़ी कहीं अस्तित्व में ही नहीं है। केवल भाषणकर्ताओं को अपनी गालियाँ देने के लिए सुलभ सीढ़ियाँ चाहिए इसीलिए हिन्दी शब्द का निर्माण किया गया है।

एक बार टण्डनजी ने मुसकराकर कहा था कि अब तो हिन्दी को सारे राष्ट्र की भाषा बनकर रहना पड़ेगा। उसकी विभक्ति, प्रत्ययों में ही नहीं, संज्ञा और सर्वनामों के रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए प्रस्तुत हैं ? एक बार यह भी कहा था कि यदि हिन्दी का नाम भारती रहे तो कैसा रहेगा ? यह सन् ‘48 की बात है—सम्मेलन के बम्बई अधिवेशन की।

मुझे यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ और हिन्दी–जगत् को यह सुनकर गर्व हुए बिना न रहेगा कि इस देश के एक प्रान्त की गवर्नरी टण्डनजी के सामने रखी गयी, तब उन्होंने अपनी साधु–सुलभ नम्रता के साथ इनकार कर दिया। इस विषय में उनका कथन बहुत आदरणीय था। उनके मत से यह काम छोटा नहीं है कि हमारे प्रदेशों में जहाँ–जहाँ गवर्नरियाँ कायम हुई हैं हम वहाँ के जनजीवन और गवर्नरों की सहायता करें। सन् 1924 में स्व. गणेशशंकरजी के फतेहपुर में चलने वाले राजद्रोह के मुकदमें में गणेशजी का वक्तव्य लिखने के लिए जब मैं टण्डनजी के पास कानपुर से प्रयाग गया, तब वे प्रयाग में रहकर वकालत करते थे और उन दिनों साधुवर श्री वियोगी हरि हिन्दी साहित्य सम्मेलन कार्यालय में टण्डनजी के साथ थे। उस समय टण्डनजी ने जो अंगरेजी में वक्तव्य लिखवाया था और जिसे गणेशजी ने कुछ नगण्य परिवर्तनों के साथ फतेहपुर की अदालत में पेश किया था, मैंने देखा कि उस वक्तव्य के लिखवाते समय कानून की या नीति–नियम की कोई भी झिझक टण्डनजी के चेहरे पर नहीं थी। मैं यह भी निवेदन कर दूँ कि कानपुर का ‘प्रताप’ उन दिनों इस देश की स्वाधीनता प्रवृत्तियों का गायक और नायक था तथा श्रद्धेय पुरुषोत्तमदासजी टण्डन उस पत्र के ट्रस्टियों में से एक थे।

हिन्दी कविता और हिन्दी गद्य के प्रति ही टण्डनजी का आकर्षण नहीं है, जब वे हिन्दी साहित्य सम्मेलनों में जाते थे, तब हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशकों की दूकानों पर जाकर कुछ–न–कुछ पुस्तकें अवश्य खरीदते थे। जिन दिनों वे लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर थे, उन दिनों वे अपने वेतन का भाग उस प्रदेश में चलायी जाने वाली हिन्दी पाठशालाओं के लिए खर्च कर देते थे। यह बात मुझसे सन् 1940 में स्व. गोस्वामी गणेशदत्तजी ने कही थी।

1920 में पटना हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समय तथा 1924 में भी टण्डनजी कदाचित् दाढ़ी नहीं रखे हुए थे। वे सफेद रंग का फेंटा बाँधते थे। शरीर के बाह्य आवरण की ओर उनका कभी कोई ध्यान नहीं देखा गया। स्पष्ट दीखता है कि वे अपने शरीर के प्रति और अपने वस्त्रों के प्रति भी अत्यन्त उदासीन हैं। जाने कब से उन दिनों वे कच्चा भोजन करते थे। गेहूँ और चना ही नहीं, किसमिस भी भिगोकर भोजन में लेते थे। कभी–कभी जाड़ों में काली मटमैली ऊन की टोपी लगाते हैं। वह शुद्ध खादी की होती थी। जब से खादी प्रारम्भ हुई तभी से वे लगातार खादी ही पहनते हैं। आजकल वे शिरस्त्राण कुछ नहीं लेते।

टण्डनजी की साहित्यिक प्रसिद्धि उनकी साहित्यिक सिद्धि है। यों तो उन्होंने 'बन्दर महाकाव्य' नाम का एक काव्य अवधी या बैसवाड़ी बोली में लिखा बताते हैं, किन्तु हिन्दी के उन्नयन में उन्होंने अपने को जीते-जी राष्ट्रभाषा भवन की नींव में गाड़ दिया-सा लगता है। इसी तरह उन्होंने पुस्तकों का ही नहीं, देश और हिन्दी की सेवा करनेवाले व्यक्तियों का निर्माण किया है। टण्डनजी के जीवन में ऐसा बहुत दिखाई देता है जो विरोधाभास-सा लगे। वे ऐसे जूते पहनते हैं जिससे चींटी भी न मरे। किन्तु जिन दिनों वे प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, वे वहाँ की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। वे अंगरेजी और उर्दू बहुत अच्छी बोलते और लिखते हैं। वे हिन्दी के इतने बड़े उन्नायक हैं कि उनके बिना हिन्दी की चर्चा त्रिवेणी के बिना प्रयाग की चर्चा के समान है।

देश के जो क्रान्तिकारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंचल में टण्डनजी उन तरुणों के प्रेरणा-स्रोत रहे हैं। उनके काम करने की खूबी यह है कि किसी संस्था में यदि पचास सदस्य हों और उस संस्था में टण्डनजी की रुचि का एक भी सदस्य चुनकर न आने दिया जाये तब भी वे उस संस्था के साथ सहयोग करते रहेंगे। उनका-सा निर्वैर आदमी तथा उनके समान क्रियाशील सहनेवाला उद्‌भुत व्यक्तित्व मैंने पूज्यवर गांधीजी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं देखा। मुझसे तो यह बात बुढ़ापे तक न सध सकी।

वे समय और काम में लगे मन को अकेले उतना अधिक नहीं चाहते, जितना इन दोनों को तथा अपनी गतिविधि को विचारकता से भर देना चाहते हैं। मैंने जब टण्डनजी को देखा, उन्हें सदैव किसी-न-किसी काम में उलझे हुए पाया । और उससे अधिक किसी-न-किसी विचार में डूबे हुए। लगता है, जीवन का कोई ऐसा कानून है जो इस व्यक्ति को और इसके आसपास के वातावरण को चैन से नहीं बैठने देता।

अपनी सन्तुलित शक्तियों को कभी बेकार न रहने देना, अपने सारे प्रयत्नों को केवल भारतीय स्वतन्त्रता और हिन्दी के उद्धार में लगाना, अपने ऊँचे चरित्र से निर्भीकतापूर्वक अपने विश्वासों को जनजीवन के बड़े से बड़े आदमी के सामने रखना, अपनी देवमूर्ति-जैसी निर्मलता, कोमलता और नम्रता को किसी भी मूल्य पर कभी न भूलना; जिस समय विनोद के क्षण हों, अपनी सिद्धान्तवादिता को याद रखना; शोध, व्यवसाय और साँस तीनों को अन्त:करण की उच्च दिशा में चलाना—ये एक ही पुरुषोत्तमदास के थोड़े से किन्तु अनेक स्वभाव हैं।

लगता है, कोई क्षण उनका शौक या दिखावा नहीं है। वे ऐसा क्षण कदाचित् जानते ही नहीं, जिस पर सिद्धान्तपूर्णता से उन्होंने अपने काम की मुहर न लगायी हो। दीर्घ यात्रा हो या अचानक का कहीं रहना, उनका जीवन तो एक समर्पित जीवन है जिसके साथ बड़ा और छोटा कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। उनके भोलेपन के कारण कितनी ही बार ऐसा लगता है, मानो किसी विषय पर उनका कोई मत नहीं है किन्तु परिणाम पर पहुँचने के लिए जब-जब टण्डनजी के सामने किसी ने प्रयत्न किया, उनका इमली के बीजों-जैसा नपा-तुला मत देखने तथा सुनने को मिला। टण्डनजी जिद्द नहीं करते, वे आग्रह कहते हैं और उसकी सच्चाई में इतना अधिक विश्वास करते हैं कि रबड़ की तरह क्षण-क्षण लचकने वाला मनुष्य उनकी फौलाद जैसी दृढ़ता से घबड़ा जाता है।

गलतियों को स्वीकारने में उनकी कोमलता विलम्ब तो नहीं करती किन्तु वे प्रश्न की सब बाजुओं से बहस करते हैं और यदि उनकी दृढ़ता से प्रश्नकर्ता बीच में ही विषय को त्यागता है तो उसका उत्तरदायित्व टण्डनजी पर नहीं हो सकता। यों वे इस बात की भरपूर सावधानी रखते हैं कि उनकी बातों से आगन्तुक का मन न दुखे। मैंने अपराध की उस प्रवृत्ति में उन्हं कभी रस लेते नहीं देखा जिसे शपथपूर्वक बात कहते हैं। वे मानते हैं कि अपराध का पक्ष लेना मस्तिष्क रखने वाले के लिए स्वयं बड़ा अपराध है। यदि कभी किसी समूह में आप टण्डनजी को देखें तो टण्डनजी के स्वभाव, शील और सौजन्य के प्रति आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आनन्द की बात यह है कि कोई भी चर्चा उनकी आदत नहीं हो गयी है। संसार के समस्त गम्भीर प्रश्नों पर वे उत्सुकतापूर्ण जिज्ञासु की तरह विचार करते हैं। उस समय लगता है कि उनकी शक्ति त्रिवेणी की धारा की तरह निर्मलतापूर्वक

बिना रुके बहती रहती है। यह बहुत बड़ी बात है कि कच्चे और भिगोये हुए अनाज को खाने की जिसने आदत डाली हो वह विचारों की और उनकी क्षय करने वाली ताकत की नाशक आदत से सदैव बचा रह सके। जब कि एक आदत से दूसरी आदत रखकर ही और उनकी सीढ़ियों पर अपने स्वभावों के पैर जमा-जमाकर ही मनुष्य आगे बढ़ता रहता है। लगता है, उन्होंने अपनी सम्पूर्ण अधोमुखी आदतों को ऊर्ध्वमुखी स्वभाव बना लिया है। उन्होंने अपने जीवन में जितना सहा है उतना कभी कहा नहीं । मानो सहते जाना वे पीढ़ियों की परम्परा बना देना चाहते हैं। धन की धनिकता हो या सम्पत्ति की धनिकता, रूप की धनिकता हो या ज्ञान की धनिकता—वे किसी को अपने गरीब देशवासी पर सवार होते नहीं देख सकते। कदाचित् इसीलिए जब मैं उनके पास ठहरा, मैंने वहाँ सन्तों का साहित्य ही पड़ा पाया।

इतनी कम आवश्यकताओं पर उन्हें जीवन की लगन लग गयी है मानो उनका अन्तर्बाह्य सन्तत्व झाँक-झाँक उठता है । उनकी साँस मानो उनके अस्तित्व का वह अधिकार है, जो अपने बूते देश की स्वतन्त्रता, विश्व के आदर्श दान और हिन्दी के उन्नयन का काम बराबर किए जायेगी। उनका जीवन डाकखाने की मुहर की तरह जहाँ पड़ता है, अपनी यादें छोड़ता जाता है और वस्तुओं, संस्थाओं और व्यक्तियों के रूप में निर्माण-कार्य किया करता है। रुपया यद्यपि उनके वचनों पर ढेरों एकत्र हो सकता है। एक एडवोकेट के नाते उनके मस्तिष्क में भी अनेक खूबियाँ हैं, किन्तु रुपया और मस्तिष्क की खूबियों से अधिक वे भारतीय संस्कृति का मूल्य आँकते हैं और भारतीय चरित्र को इतना ऊँचा उठाना चाहते हैं कि जिस पर रुपया और मस्तिष्क की शक्ति चढ़ायी जा सके। क्योंकि वे मानते हैं कि मस्तिष्क शक्ति बड़ी भले हो, वह किसी देश और जाति के चरित्र से ऊँची नहीं हो सकती, इसीलिए काव्य, चित्र, कलाकृति, नाटक और धर्मोपदेश इस सबसे परे पुरुषोत्तमदास टण्डन मानो गरीबों के जीवन में घुल-मिल जाना जानते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, वे मानते हैं कि जीवन की उच्चता उसका नाम है जिसके लिए कैफियतें नहीं देनी पड़ती हैं। यही कारण है कि टण्डनजी बापूजी द्वारा इतने सम्मानित किए गये कि यदि कभी महात्मा गांधी के साथ उनका मतभेद भी हो जाता तो महात्माजी टण्डनजी की श्रेष्ठता के कारण लगातार मतभेद के विषयों पर भी उनसे सलाह लेते रहते थे।

यदि एक हाथ में कोई सौभाग्य और दूसरे में जनसेवा लेकर आए तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, टण्डनजी दूसरे को छाती से लगा लेंगे और पहले को ठुकरा देंगे। लगता है विश्व के यथार्थ शिक्षण और संस्कृति में वे कोई भेद नहीं मानते। जो बात उन्हें कहनी है, वह कहते रहे हैं और कहते रहेंगे। बच्चों से वही कहेंगे, जवानों से वही कहेंगे, बूढ़ों से वही कहेंगे। वे भले ही ऊँचे ग्रन्थों और व्यक्तियों के अवतरण अपने भाषणों में रखें किन्तु हिन्दी-संसार तो केवल उनकी तरफ देखकर, उनके समर्पण के स्वभाव की तरफ देखकर ही जीवित रहा है और जीवित रहेगा। यदि मैं हिन्दी-जगत् के हृदय को जानने का गर्व करूँ, तो हिन्दी-हित के लिए उन्हें किसी अन्य पवित्रता और आदर्शवाद की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पुरुषोत्तमदास टण्डन की आवश्यकता है।

## शब्दार्थ

**आचरण** व्यवहार **साश्रुनयन ( स + अश्रुनयन )** आँसू भरी आँखें **यथार्थ** वास्तविक **आविष्कार** खोज **शिथिल** ढीला, मंद **उन्नयन** उठाना, उन्नत करना **नगण्य** बहुत कम **विलम्ब** देर **अधोमुखी** निम्न कक्षा की, बुरी **ऊर्ध्वमुखी** उच्च स्तर की, ऊपर की ओर मुँह वाली **शिरस्त्राण** युद्ध के समय सिर पर पहनने की लोहे की टोपी, शिरस्त्र ।

●●●